रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267881
CG-DL-E-21112025-267881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/ कार्तिक 29, 1947
No. 771] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/ KARTIKA 29, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 नवंबर, 2025

सा.का.नि.857(अ).—अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106(2)(यज) और धारा 98(1)(क) के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (आईडब्ल्यूटी-I) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या diriwt1-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 कहा जाएगा है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.-

1. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क. "अधिनियम" से अभिप्राय है अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021;

ख. "आवेदक" से अभिप्राय है उन आनंद यानों या नहर क्रूज नौकाओं के स्वामी, जो इन नौकाओं के पंजीकरण या सर्वेक्षण या केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य आवश्यकता के लिए आवेदन कर रहे हैं;

ग. "अनुकूल मौसम" से अभिप्राय है वह अवधि जो पवन और समुद्र की अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाती है, जैसा भारत के नौवहन महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या केंद्र या राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए;

घ. "विषम मौसम" से अभिप्राय है वह अवधि जो पवन और समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाती है, जैसा भारत के नौवहन महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या केंद्र या राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए;

ङ. "समुद्र तट" या "तट" या "किनारा" से अभिप्राय है जल निकाय के किनारे स्थित तटवर्ती भूमि की पट्टी या क्षेत्र से है;

च. "प्रमाणन प्राधिकरण" से अभिप्राय है राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकरण, जो अंतर्देशीय जल में आनंद नौकाओं को चलाने वाले चालक दल के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने और लाइसेंस (जो योग्यता प्रमाण पत्र के समतुल्य होगा) जारी करने के लिए जिम्मेदार है;

छ. "नहर क्रूज़ नौका" अर्थात् "हाउस बोट" से अभिप्राय है कोई नौका जिसे मुख्य रूप से पर्यटन प्रयोजनों, बैठकों/सम्मेलन या निजी उपयोग जैसे वाणिज्यिक कार्यों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किए जाने हेतु तैयार किया गया है या उसमें बदलाव किया गया है, जिसे धीरे-धीरे चलाया जा सकता है या किसी निश्चित स्थान पर रखा जा सकता है और जिसे अक्सर आरामदायक प्रवास उपयोगी सेवाओं या ऐसे ही एक मनोरंजक कार्यों की व्यवस्था करने के लिए जमीन पर खुंट से बाँधा जाता है;

ज. "नामित प्राधिकारी" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;

झ. "आनंद यान" से अभिप्राय है 10 मीटर से कम लंबाई का पानी में चलने वाला कोई भी फ्लोटिंग यान या नौका जिसे मशीनीकृत साधनों से चलाया जाता है और जिसका जल क्रीडा, नदी या झील क्रूज या पाल नौकायन, नौकायन, वॉटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग और ऐसी अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए प्रचालन किया जाता है।

ञ. "प्रचालन" से अभिप्राय है आनंद यान चलाने वाला कोई व्यक्ति;

ट. "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी;

ठ. "सर्वेक्षक" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी।

2. इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. प्रयोज्यता:

ये नियम राज्यों के अंतर्देशीय जलक्षेत्र में चलने वाले आनंद यानों और नहर क्रूज नौकाओं (जो 30 मीटर से अधिक लंबी न हो, और जिसकी 50 यात्रियों तक ले जाने की क्षमता हो) पर लागू होंगे।

4. क्षेत्र और प्रयोग।

1. निम्नलिखित नियमों की अपेक्षाएं, इन नियमों के अनुसरण में चिन्हित विशेष श्रेणी जलयानों पर लागू होंगी: -

क. अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022

ख. अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022

ग. अंतर्देशीय जलयान (बीमा, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं की देयता और दायित्व की सीमा) नियम, 2022

घ. अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डेटाबेस और संबद्ध मामले) नियम, 2024

ङ. अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और संशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन), नियम 2025

2. निम्नलिखित वर्गों या श्रेणियों के यांत्रिक चालित अंतर्देशीय जलयानों को उनके जल क्रीड़ा गतिविधियों और मनोरंजक गतिविधियों के उपयोग या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी जलयानों के रूप में माना जाएगा:

क. आनंद नौकाएँ;
ख. इनबोर्ड या आउटबोर्ड मोटरों वाली या बैटरी चालित नहर क्रूज नौकाएँ जिनमें 50 यात्री तक ले जाए जा सकते हैं;

3. उपनियम (2) में विशेष श्रेणी के जलयानों के रूप में नामित जलयानों के डिजाइन और निर्माण के मानदंड और मानक इन नियमों की अनुसूची के अध्याय-1 और अध्याय-2 में निहित हैं।

4. उप-नियम (2) के अनुसरण में विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिन्हित जलयान का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव, नामित प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन के सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण के तहत किया जाएगा, जिसे अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए।

परंतु यह, यदि जलयान का स्वामी स्वेच्छा से जलयान का निर्माण और अनुरक्षण किसी वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अधीन कराने का निर्णय लेता है, तो ऐसी वर्गीकरण सोसायटी द्वारा किया गया सर्वेक्षण, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा प्रत्यायोजित नामित प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा।

5. प्रमाणन और सांविधिक अपेक्षाएं:

उप-नियम (1) के अनुसरण में विशेष श्रेणी जलयान के रूप में चिन्हित जलयान को निम्नलिखित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा: -

1. सुरक्षा उपाय और लोड लाइन अपेक्षाएं

4. जलयान को संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित उसके संचालन क्षेत्र के अनुसार सुरक्षा गियर, उपकरण और संरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

5. जलयान की अधिकतम वहन क्षमता राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

i. उत्प्लावन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा लोड लाइन या लोड लाइन सीमाओं का विनिर्देशन;

ii. ऐसे जलयानों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य शर्तें, अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र प्रदान की गई शर्तों के अतिरिक्त होंगी।

ग. जलयान की अधिकतम वहन क्षमता उपयुक्तता प्रमाणपत्र में अंकित की जाएगी।

2. अधिकारियों की नियुक्ति और उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करना

राज्य सरकार, अधिनियम के अध्याय VII और इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकृत करेगी।

क. प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

i. इन जलयानों के उपयुक्तता प्रमाणन हेतु आवेदन प्राप्त करना और उन पर कार्रवाई करना;

ii. निरीक्षण और सर्वेक्षण करना;

iii. उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करना, निलंबित करना या रद्द करना; और

iv. इन नियमों के अंतर्गत किए गए इनकार, निलंबन, रद्दीकरण या प्रवर्तन की अन्य कार्रवाइयों के कारणों को रिकॉर्ड करना और बनाए रखना।

ख. किसी भी यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान के स्वामी, संचालक या मास्टर द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन किए जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जलयान:

i. निर्धारित सुरक्षा, संरचनात्मक और स्थिरता मानकों को पूरा करता है;

ii. अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है;

iii. लागू होने पर उपयुक्त लोड लाइन चिह्न लगाए गए हैं; और

iv. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है,

संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके सेजलयान की वहन क्षमता को दर्शाते हुए उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

ग. उपयुक्तता प्रमाणपत्र, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन जारी किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी -

i. वैध सर्वेक्षण और बीमा प्रमाणपत्र का होना;

ii. लागू शुल्क का भुगतान;

iii. नवीनीकरण की प्रक्रियाएँ

iv. निरीक्षण अपेक्षाएं, जिनमें वार्षिक या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य समय कालावधि शामिल है; और

v. प्रचालन प्रतिबंध।

घ. इन नियमों के साथ एकरूपता हेतु राज्य सरकारों द्वारा संदर्भ एवं अंगीकार हेतु उपयुक्तता प्रमाणपत्र (प्रपत्र-2) और उपयुक्तता प्रमाणपत्र (प्रपत्र-3) हेतु आवेदन का एक मॉडल प्रारूप संलग्न है।

3. अंतर-राज्यीय प्रचालन और शक्तियाँ/जिम्मेदारियाँ

ङ. गृह राज्य, विशेष श्रेणी के जलयान के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एकमात्र प्राधिकारी होगा।

च. गृह राज्य द्वारा जारी वैध उपयुक्तता प्रमाणपत्र धारक ऐसे जलयानों को अन्य राज्य से डुप्लिकेट या पृथक प्रमाणन की आवश्यकता के बिना, किसी अन्य राज्य में प्रचालन की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

iii. गृह राज्य द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्र उस राज्य द्वारा स्वीकार किया गया हो जिसमें जलयान का प्रचालन किया जाना है; और

iv. प्रचालन हेतु अभिप्रेत राज्य को पूर्व सूचना दी गई हो, और उस राज्य द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का विधिवत अनुपालन किया गया हो।

ङ. केंद्र सरकार, गृह राज्य द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्रों के सत्यापन और पुष्टि के लिए अंतर-राज्यीय डेटा विनिमय तंत्र को सुगम बनाएगी, जिससे राज्यों में विशेष श्रेणी के जलयानों का निर्बाध प्रचालन संभव हो सके।

4. सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण

ङ. अधिनियम के तहत नियुक्त कोई सर्वेक्षक, अनुसूचित सर्वेक्षण के प्रयोजन को छोड़कर, किसी भी उचित समय पर निरीक्षण के प्रयोजनार्थ विशेष श्रेणी जलयान पर चढ़ सकता है। इस तरह के निरीक्षण में निम्नलिखित की जाँच शामिल हो सकती है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

i. पतवार,

ii. उपकरण,

iii. मशीनरी, और

iv. जलयान का कोई भी भाग या संपत्ति।

ख. स्वामी, प्रचालक, एजेंट, मास्टर या जलयान का प्रभारी व्यक्ति:

i. निरीक्षण या सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षक को सभी आवश्यक पहुँच और सुविधाएँ प्रदान करेगा, और

ii. जलयान, उसकी मशीनरी, उपकरण या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी सर्वेक्षक या कोई प्राधिकृत अधिकारी यथोचित रूप से अपेक्षा करे।

5. अनुपालन का प्रवर्तन और उपयुक्तता प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दीकरण

iii. इन नियमों के अनुसरण में विशेष श्रेणी जलयान रूप में चिन्हित जलयान को इन नियमों के लागू होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

iv. यदि इन नियमों के अंतर्गत विशेष श्रेणी जलयान के रूप में चिन्हित किसी यांत्रिक चालित अंतर्देशीय जलयान में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाया जाता है, तो राज्य सरकार जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या प्रभारी व्यक्ति को सुधार का नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें गैर-अनुपालन के स्वरूप और वह समय सीमा निर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा सुधार पूरा किया जाना होगा।

v. यदि उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट समय के बाद भी गैर-अनुपालन जारी रहता है, तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और लिखित में कारण दर्ज करने के बाद इन नियमों के तहत ऐसे जलयान को दिए गए उपयुक्तता प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकती है।

vi. वह जलयान जिसका उपयुक्तता प्रमाणपत्र उप-धारा (2) के तहत निलंबित या रद्द कर दिया गया है:

i. जब तक निलंबन वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक उसका प्रचालन बंद रहेगा; या

ii. निरस्तीकरण की स्थिति में, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार नया उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने तक प्रचालन बंद रहेगा।

6. अपील

राज्य सरकार इन नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी। कोई भी असंतुष्ट आवेदक, उपयुक्तता प्रमाणपत्र के अस्वीकार, निलंबन या निरस्तीकरण के निर्णय के विरुद्ध ऐसे आदेश की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

6. आनंद यान या नहर क्रूज़ नौका के स्वामी के दायित्व

1. चालक दल का प्रशिक्षण, प्रमाणन और न्यूनतम प्रचालन अपेक्षाएं

क. इन नियमों के अध्याय 3 में यथानिर्धारित चालक दल के न्यूनतम सदस्यों द्वारा जलयान का प्रचालन किया जाएगा।

ख. स्वामी, चालक दल के केवल योग्य और सक्षम सदस्यों को नियुक्त करेगा जिनके पास प्रमाणन प्राधिकारी या नामित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस हो। स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चालक दल का सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों में उचित रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित हो:

i. आनंद यान या नहर क्रूज़ नौका और उसके उपकरणों का संचालन और प्रचालन, जहाँ लागू हो;

ii. आनंद यान या नहर क्रूज़ नौका का रखरखाव, जिसमें जलयान के अंदर सभी मशीनरी, उपकरण और जीवन रक्षक उपकरण शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अच्छी प्रचालन स्थिति में रहें; और

iii. जीवन रक्षक प्रक्रियाएँ, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया तकनीकें।

ग. आनंद यान या नहर क्रूज़ नौका के लिए चालक दल के प्रशिक्षण और प्रमाणन की विस्तृत अपेक्षाएं इन नियमों की अनुसूची के अध्याय-3 के रूप में संलग्न हैं।

2. प्रचालन क्षेत्र

क. स्वामी, निर्दिष्ट प्राधिकारी को आनंद यान या नहर क्रूज़ नौका के पंजीकरण के समय प्रचालन के अभिप्रेत क्षेत्र का उल्लेख करेगा। जलयान का उपयोग केवल घोषित प्रचालन क्षेत्र के भीतर जल क्रीड़ा या मनोरंजक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

ख. आनंद नौकाएँ, तट की दृश्य सीमा के भीतर ही चलाई जाएंगी और प्रचालन के दौरान हर समय स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी।

ग. नहर क्रूज नौकाएँ केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित क्षेत्र के भीतर ही प्रचालित होंगी।

3. प्रचालन प्रतिबंध

जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, आनंद यान या नहर क्रूज नौका का संचालन दिन के समय, अनुकूल मौसम और सुरक्षित परिस्थितियों तक ही सीमित रहेगा, जिसमें पवन की गति, बेमौसम वर्षा और अंतर्देशीय जल में उछाल जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

4. प्रचालन का समय

सुरक्षित प्रचालन स्थितियों के अनुपालन के अध्यधीन, स्वामी राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए उपयुक्तता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट प्रचालन समय का पालन करेगा।

5. अनुपालन न करने पर दंड

क. जलयान का स्वामी, इन नियमों के अतिरिक्त अधिनियम के उन सभी संगत उपबंधों और इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जो उस पर लागू हैं। अंतर्देशीय जल में प्रचालन हेतु इन जलयानों के लिए निम्नलिखित वैध दस्तावेज अनिवार्य हैं:

i. पंजीकरण प्रमाणपत्र।

ii. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र।

iii. बीमा पॉलिसी।

iv. उपयुक्तता प्रमाणपत्र।

v. प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्र।

ख. स्वामी को हर समय उपरोक्त सभी अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों या प्राधिकारियों के समक्ष मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

ग. इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर स्वामी को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 87 के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले दंड, जुर्माने या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

अनुसूची

अध्याय 1- जल क्रीड़ा गतिविधियों में प्रयुक्त आनंद नौकाओं के लिए मानदंड और मानक

1. ये मानक जल क्रीड़ा गतिविधियों में लगे 10 मीटर तक लंबी आनंद नौकाओं की सुरक्षा, प्रदर्शन और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पैरासेलिंग प्रचालन के लिए नियोजित जलयान शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

2. **निर्माण**

ऐसे जलयानों के लिए सामग्री, संरचनात्मक अपेक्षाओं और निर्माण तकनीकों के मानक इस प्रकार होंगे: -

i. पतवार डिज़ाइन: पतवार डिज़ाइन स्थिरता, उछाल और सुचारू प्रचालन प्रदान करेगा। पतवार का आकार कैटामारन, मोनोहल या मल्टीहल विन्यास हो सकता है, जैसा लागू हो और लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगा।

ii. सुदृढ़ीकरण: तनाव बिंदु, जैसे ट्रांसम और पतवार-डेक जोड़, उच्च गति वाले युद्धाभ्यास के दौरान डाले गए भार को सहन करने के लिए सुदृढ़ किए जाएँगे। लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

iii. संरचना

संरचनात्मक डिज़ाइन लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगा।

क. लोडिंग की स्थिति: लोडिंग की स्थिति का विश्लेषण, एफई विश्लेषण या समकक्ष कम्प्यूटेशनल विधियों का उपयोग करके लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में किया जाएगा।

ख. सामग्री चयन: सामग्री चयन और स्कैन्टलिंग गणना, सभी लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगी।

iv. सामग्री:

क. सामग्री गुणवत्ता अपेक्षाएं: सभी घटकों का निर्माण उच्च-गुणवत्ता वाली, समुद्री-ग्रेड सामग्री से किया जाएगा जो क्षय, यूवी विकिरण और यांत्रिक घिसाव को सहन कर सके।

ख. निर्माण के लिए सामग्री का प्रकार: इनमें स्टील, एल्युमीनियम, फाइबरग्लास, समुद्री प्लाईवुड, कार्बन फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), पॉलीयूरेथेन, हाइपलॉन और पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई और एचडीपीई) शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

ग. अनुपालन मानक: उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियाँ, लागू भारतीय मानकों, वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं, या संशोधित प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।

3. स्थिरता और उत्प्लावन

i. जल क्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले आनंद यानों की स्थिरता और उत्प्लावन संबंधी अपेक्षाएं निम्नलिखित के अनुरूप होंगी:

क. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट मानक, या

ख. वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाएं, या

ग. प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक।

ii. आनंद यानों की अधिकतम वहन क्षमता निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

क. निर्दिष्ट सुरक्षा लोड लाइन, या

ख. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने अभिप्रेत प्रचालन के दौरान जलयान के तैरते रहने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य मानदंड और शर्तें; और

ग. अधिनियम के तहत अन्यत्र उपबंधित शर्तों के अतिरिक्त, ऐसे जलयानों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य शर्तें,

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अनुसार निर्धारित किया जाएं।

4. सुरक्षा उपकरण

i. सभी आनंद यान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उनके वर्गीकरण के अनुसार सुरक्षा गियर और उपकरणों से सुसज्जित होंगे।

ii. उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे:

ग. व्यक्तिगत प्लवन उपकरण (पीएफडीएस):

जलयान पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वीकृत प्रकार III या प्रकार V पीएफडीएस।

घ. प्राथमिक चिकित्सा किट:

एक पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा किट, जो सुलभ और जलरोधक हो।

ङ. संकेत – सूचक उपकरण:

एक सीटी, ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण (हॉर्न), और अनुमोदित दृश्य संकट संकेत (जैसे, फ्लेयर्स)।

च. नौचालन रोशनी:

जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और सिग्नल) नियम, 2022 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।

(ङ) अग्निशामक यंत्र:

जलयान की श्रेणी और ईंधन के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित डीसीपी-प्रकार के अग्निशामक यंत्र:

क्रम सं.	जलयान का प्रकार	लंबाई	इंजन की शक्ति	न्यूनतम सुरक्षा उपकरण
1	भ्रमण नौका (टिलर/रिमोट ओबीएम)	< 3.5 मी.	ओबीएम < 30 एचपी	- बचाव ट्यूब (1) - 2 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
2	भ्रमण नौका (टिलर/रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	< 6 मी.	टिलर ओबीएम < 40 एचपी रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड < 75 एचपी	- रेस्क्यू ट्यूब (1) - लाइफबोई (1) - 4 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)

3	भ्रमण नौका (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	6 – 10 मी.	टिलर ओबीएम < 40 एचपी रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड < 90 एचपी	- रेस्क्यू ट्यूब (2) - लाइफबोई (1) - 4 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
4	स्पीड बोट (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	< 6 मी.	> 50 एचपी	- रेस्क्यू ट्यूब (1) - लाइफबोई (1) - 4 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
5	स्पीड बोट (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	6 – 10 मी.	> 50 एचपी	- रेस्क्यू ट्यूब (2) - लाइफबोई (1) - 4 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
6	व्यक्तिगत जलयान (जेट स्की)	< 3.5 मी.	90–310 एचपी इनबोर्ड जेट इंजन	- थ्रो बैग (1) - 2-4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
7	पैरासेलिंग नौका	10 m	इनबोर्ड > 250 एचपी	- रेस्क्यू ट्यूब (1) - लाइफबोई (1) - 4 किलो डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)

5. इंजन और ईंधन प्रणालियाँ

i. जल क्रीड़ा और संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आनंद यानों के इंजन और ईंधन प्रणाली उपकरण निम्नलिखित का अनुपालन करेंगे:

क. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट मानक, या

ख. वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाएं, या

ग. प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक।

ii. जल क्रीड़ा और इसी तरह की गतिविधियों के लिए अभिप्रेत सभी आनंद यानों में ऐसे इंजन और ईंधन प्रणालियाँ लगी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित लागू सुरक्षा, पर्यावरण और निर्माण मानकों को पूरा करती हों।

iii. इंजन:

क. केवल समुद्री-ग्रेड इंजन ही लगाए जाएँगे, जो विशेष रूप से जल क्रीड़ा और उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हों।

ख. सभी इंजन यथासंशोधित अंतर्देशीय पोत (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2022 की धारा 9 और धारा 10 का पालन करेंगे, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

1. उत्सर्जन मानदंड, और

2. ध्वनि स्तर।

ग. ईंधन प्रणालियाँ:

1. ईंधन प्रणालियाँ ईंजन पूर्णत: निर्माता के विनिर्देशों और सिफारिशों के अनुसार अनिवार्यत: से स्थापित की जाएँगी।

2. निर्माता निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

क. सुरक्षित और रिसाव-रोधी फिटिंग का उपयोग,

ख. ईंधन डिब्बों में पर्याप्त वायु- संचार व्यवस्था, और

ग. अग्निरोधी सामग्री और घटकों का उपयोग।

घ. नियंत्रण:

1. स्टीयरिंग, थ्रॉटल और आपातकालीन नियंत्रण सहज रूप से स्थित, स्पष्ट रूप से चिह्नित और न्यूनतम शारीरिक प्रयास से आसानी से संचालित होने योग्य होने चाहिए।

2. नियंत्रण प्रणालियाँ ऑपरेटर की थकान को कम करने और प्रतिक्रियात्मकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की जाएँगी, विशेष रूप से उच्च गति या गतिशील प्रचालन स्थितियों में।

ङ. उपरोक्त ईंधन प्रणाली स्थापना मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए बिल्डर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

च. राज्य सरकार का निर्दिष्ट प्राधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी इंजन और ईंधन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव के सुरक्षा पहलुओं पर आगे के दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिसमें आवधिक निरीक्षण, उत्सर्जन निगरानी और प्रमाणन के प्रावधान शामिल होंगे।

6. विद्युत प्रणालियाँ

i. सभी विद्युत संस्थापन और उपकरण, जिनमें वायरिंग, बैटरी प्रणालियाँ, स्विच और संबंधित उपकरण शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, या जहाँ लागू हो, समय-समय पर यथा संशोधित किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ii. उप-नियम (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी:

क. वायरिंग: सभी विद्युत वायरिंग में समुद्री-ग्रेड, टिनयुक्त तांबे के कंडक्टर या समतुल्य मानक की अन्य वायरिंग शामिल होंगी, जो विधिवत रूप से इन्सुलेटेड हो और समुद्री उपयोग के लिए उपयुक्त हो। ऐसी वायरिंग को सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा, इसे इस तरह ले जाया जाएगा जिससे भौतिक क्षति न हों और नमी और क्षयकारी तत्वों के प्रभाव से पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

ख. बैटरी प्रणालियाँ: बैटरी प्रणालियों को पर्याप्त रूप से हवादार और सुरक्षित जगहों में स्थापित किया जाएगा। सभी बैटरियों में उचित रूप से इन्सुलेटेड टर्मिनल लगे होंगे और उपयुक्त फ्यूजिंग और ओवरकरंट सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएँगे। स्थापना को रिसाव, शॉर्ट-सर्किटिंग को रोकने और कंपन व क्षय होने से सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

ग. विद्युत उपकरण: स्विच, कनेक्टर और फिक्स्चर सहित सभी विद्युत उपकरण जलरोधी या जल-प्रतिरोधी प्रकार के होने चाहिए, जो समुद्री वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त हों, और उप-नियम (i) में निर्दिष्ट मानकों का पालन करें। ऐसे सभी उपकरणों की स्थापना और रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रचालन सुरक्षा सुनिश्चित हो और विद्युत खतरे का जोखिम कम हो।

7. नौवहन और संचार

i. सभी आनंद यान और जल क्रीड़ा जलयान, सुरक्षित प्रचालन, स्थितिजन्य जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नौचालन और संचार प्रणालियों से सुसज्जित होंगे।

ii. ऐसे जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे:

क. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस):

विशेष रूप से प्रतिबंधित या व्यस्त जलमार्गों में, वास्तविक समय और सटीक स्थिति ट्रैकिंग और मार्ग नौचालन को सक्षम करने के लिए एक कार्यात्मक जीपीएस इकाई स्थापित की जाएगी।

ख. संचार उपकरण:

प्रत्येक जलयान में कम से कम एक चालू स्मार्टफोन या वाटरप्रूफ मोबाइल संचार उपकरण होना चाहिए, जो निम्न में सक्षम हो:

i. अन्य जलयानों से संपर्क करने में,

ii. तट-आधारित आपातकालीन सेवाओं के साथ संचार करने में, और

iii. जहाँ उपलब्ध हो, मौसम और नौचालन संबंधी अलर्ट प्राप्त करने में।

ग. चुंबकीय कंपास: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने की स्थिति में बैकअप नौचालन सहायता के रूप में एक समुद्री-ग्रेड कंपास स्थापित किया जाएगा।

iii. राज्य सरकार या उसके निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतर्देशीय जलयान (राष्ट्रीय नदी यातायात और नौचालन प्रणाली), नियम 2025 में यथानिर्दिष्ट ऐसे जलयानों के लिए प्रचालन क्षेत्र जोखिम आकलन के आधार पर अतिरिक्त अपेक्षाओं को अधिसूचित कर सकते हैं।

8. कार्य दक्षता व्यवस्था (एर्गोनॉमिक्स) और आराम

i. जल क्रीड़ा गतिविधियों में लगे सभी आनंद यान और जल क्रीड़ा पोत, यात्रियों और चालक दल, दोनों के लिए सुरक्षा, आराम और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए काम करने के अनुकूल परिवेश की दृष्टि से डिज़ाइन किए जाएँगे। इस डिज़ाइन में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

क. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट मानक, या

ख. वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाएं, या

ग. प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक,

ii. डिज़ाइन विशेषताओं में निम्नलिखित न्यूनतम एर्गोनॉमिक्स अपेक्षाएं शामिल होंगी, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

क. सभी यात्री और प्रचालक के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित, आरामदायक होगी और ये उपयुक्त सीट बेल्ट या सुरक्षा बेल्ट से सुसज्जित होंगी।

ख. बैठने की व्यवस्था पर्याप्त सहारे के साथ इस प्रकार की जाएगी कि जलयान के तीव्र, गति से चलने, मुड़ने या लहरों के प्रभाव के दौरान चोट का जोखिम कम से कम हो।

9. पैरासेलिंग नौकाओं, स्कूबा डाइविंग नौकाओं और बचाव नौकाओं के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं

क. पैरासेलिंग नौकाओं को मोड़ने का यंत्र (विंच) यथा संशोधित लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। इस संबंध में पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं हैं: -

i. रस्सी लाइनर सहित विंच ड्रम स्टेनलेस स्टील 316 या एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम से निर्मित होगा।

ii. हाइड्रोलिक मोटर का कार्य दाब न्यूनतम 190 बार तक होगा।

iii. पैरासेल रस्सी के लिए 1.3 से 1.5 टन की जांच शुरू भार क्षमता वाले स्टेनलेस स्टील 316 मस्तूल का उपयोग किया जाएगा।

iv. पैरासेल टोलाइन, पॉलियामाइड/नायलॉन ब्रेडेड होंगी जिनकी न्यूनतम निर्धारित खिचांव शक्ति 4-5 टन के बीच होगी।

v. पैरासेल टोलाइन टोलाइन, विंच और पैरासेल उपकरण निर्माताओं द्वारा अनुशंसित अधिकतम लंबाई से अधिक नहीं होगी (अधिकतम लंबाई को सीमित करने के लिए इन तीनों द्वारा अनुशंसित सबसे छोटी लंबाई वाली टोलाइन पर विचार किया जाएगा)।

ख. स्कूबा डाइविंग बोट को यथा संशोधित लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाएगा। इस संबंध में पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं हैं: -

i. कम से कम 10 बीसीडी सेट रखने का प्रावधान

ii. गोताखोर के पानी में प्रवेश और निकास के लिए स्विम प्लेटफॉर्म का प्रावधान

iii. गोताखोर को पानी से वापस लाने के लिए 75° झुकाव वाली स्टेनलेस स्टील की सीढ़ी।

ग. रेस्क्यू बोट को यथा संशोधित लागू भारतीय मानकों या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाएगा। जल क्रीड़ा गतिविधि के दौरान सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली रेस्क्यू बोट न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करेगी: -

i. अधिकतम 5 लोगों के बैठने की क्षमता या न्यूनतम 6 मीटर।

ii. डेक पर स्पाइन बोर्ड रखने के लिए पर्याप्त जगह।

iii. पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर और प्राथमिक चिकित्सा किट रखने का प्रावधान।

घ. राज्य सरकार या अधिकृत प्राधिकारी इन जलयानों के लिए प्रचालन क्षेत्र जोखिम आकलन के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा अपेक्षाओं को अधिसूचित कर सकते हैं।

अध्याय 2- नहर क्रूज़ नौकाओं (30 मीटर से कम लंबाई वाली) के लिए मानदंड और मानक

1. दायरा और प्रयोज्यता

इन मानकों में अंतर्देशीय जलमार्गों में चलने वाली नहर क्रूज़ नौकाओं के लिए सुरक्षा, प्रदर्शन और नियामक अनुपालन अपेक्षाओं को स्थापित की गई हैं। ये उन नहर क्रूज़ नौकाओं पर लागू होंगे जो:

1. कुल मिलाकर 30 मीटर से कम लंबाई की होनी चाहिए;

2. मनोरंजन उपयोग के लिए होनी चाहिए; और

3. इनबोर्ड मोटर्स, आउटबोर्ड मोटर्स, या बैटरी प्रणोदन प्रणालियों द्वारा प्रचालित होंगी।

4. 50 से अधिक यात्रियों को नहीं ले जा सकेंगी।

2. सामान्य अपेक्षाएं

3.

4.

1. नहर क्रूज़ नौकाओं की आकृति और आकार, प्रदान की गई सुख- सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकता है, जैसे कि बेडरूम के अंदर बाथरूम; बैठक क्षेत्र, रसोई और खुले डेक।

2. नहर क्रूज़ नौकाओं को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: वे जो धीरे-धीरे चलती हैं और वे जो स्थिर है/ किनारे पर खड़ी होती हैं, जहाँ बिजली और पानी की आपूर्ति निश्चित होती है।

3. नौका का इंजन या मोटर किसी भी ईंधन जैसे डीज़ल, पेट्रोल, दोहरे ईंधन, बैटरी या जैव ईंधन पर चलेगा। ईंधन भंडारण किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में, खतरों से मुक्त होना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था सौर पैनलों या बैटरियों द्वारा संचालित होनी चाहिए।

4. प्रणोदन और बिजली उत्पादन के लिए केरोसिन से चलने वाले इंजनों का उपयोग निषिद्ध है।

5. नहर क्रूज़ नौकाओं के लिए निर्दिष्ट कमरे का आकार इस प्रकार होना चाहिए:

5. बेडरूम: 80 वर्ग फुट

6. लिविंग/डाइनिंग एरिया: 75 वर्ग फुट

7. अटैच्ड बाथरूम: 25 वर्ग फुट

8. किचन: 75 वर्ग फुट

6. बेडरूम में बिजली से चलने वाले छत या दीवार पर लगे पंखे और मच्छरदानी या जालियाँ हो सकती हैं।

7. बाथरूम का ऐसा फर्श होना चाहिए जिससे पानी से फिसलन न हो।

8. उच्च गुणवत्ता वाले लिनन, कटलरी, क्रॉकरी, कांच के बर्तन और प्रसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9. पीने के लिए बोतलबंद पानी या शुद्ध पानी के डिस्पेंसर उपलब्ध होने चाहिए।

9. **डिज़ाइन और निर्माण मानक**

10.

11. सामग्री:

क. सामग्री गुणवत्ता अपेक्षाएं: सभी घटकों का निर्माण उच्च-गुणवत्ता वाली, समुद्री-ग्रेड सामग्री से किया जाएगा जिन पर क्षय होने, यूवी विकिरण और यांत्रिक घिसाव का प्रभाव न हों।

ख. निर्माण के लिए सामग्री के प्रकार: इनमें स्टील, एल्युमीनियम, फाइबरग्लास, समुद्री प्लाईवुड, कार्बन फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), पॉलीयूरेथेन, हाइपलॉन और पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई और एचडीपीई) शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी।

ग. अनुपालन मानक: उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियाँ यथा संशोधित, लागू भारतीय मानकों, वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं, या प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों, के अनुरूप होंगी।

घ. पतवार डिज़ाइन: पतवार डिज़ाइन स्थिरता, उछाल और सुचारू संचालन प्रदान करेगा। पतवार डिज़ाइन यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा।

ङ. सुदृढ़ीकरण: ट्रांसम और हल-डेक ज्वाइंट जैसे तनाव बिंदुओं को उच्च गति वाले युद्धाभ्यास के दौरान रखे गए भार को सहन करने की क्षमता की दृष्टि से सुदृढ़ किया जाएगा। यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो या वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाओं या संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्दिष्ट लागू मानकों का पालन किया जाएगा।

2. स्थिरता और उछाल

नहर क्रूज़ नौकाओं को अंतर्देशीय जलयान (डिज़ाइन और निर्माण) नियम, 2024 की धारा IV का अनुपालन करना होगा, जहाँ तक इन विशेष श्रेणी के जलयानों के लिए व्यावहारिक हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के उपरोक्त अध्याय में किसी एक या सभी अपेक्षाओं को छूट दे सकता है और ऐसी अपेक्षाओं के लिए वैकल्पिक मानकों पर विचार कर सकता है, जैसा कि निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट किया जाए -

क.

क. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); या

ख. वर्गीकरण सोसायटी; या

ग. अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन

3. न्यूनतम सुरक्षा उपकरण

क. सभी नहर क्रूज़ नौकाओं को उनकी श्रेणी के अनुरूप सुरक्षा गियर और उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जैसा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

ख. उप-खंड (क) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

i. अग्निशमन उपकरण (एफएफए):

अग्निशमन उपकरण, अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022 और उसके किसी भी संशोधन के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

ii. जीवन रक्षक उपकरण (एलएसए):

जीवन रक्षक उपकरण, समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 के तहत निर्दिष्ट मानकों का पालन करेंगे।

iii. प्राथमिक चिकित्सा और संकटकालीन उपकरण:

जलयान पर पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा किट और उपयुक्त संकट संकेत उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

iv. आपातकालीन अलार्म प्रणालियाँ:

आपात स्थिति में चालक दल और यात्रियों को सचेत करने के लिए आपातकालीन अलार्म बटन या प्रणालियाँ स्थापित की जाएँगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई और निकासी सुनिश्चित हो सके।

v. नौचालन लाइटें:

नौवहन लाइटें, अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौवहन, संचार और सिग्नल) नियम, 2022 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित की जाएँगी।

4. इंजन और ईंधन प्रणालियाँ

i. मनोरंजन और इसी तरह की गतिविधियों के लिए बनाई गई सभी नहर क्रूज़ नौकाओं में ऐसे इंजन और ईंधन प्रणालियाँ लगाई जाएँगी जो इन नियमों में निर्धारित सुरक्षा, पर्यावरण और निर्माण मानकों को पूरा करती हों।

ii. इंजन:

क. केवल समुद्री-ग्रेड इंजन, जो विशेष रूप से जल क्रीड़ा और उच्च-प्रदर्शन प्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हों, लगाए जाएँगे।

ख. सभी इंजन यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 2022 की धारा 9 और धारा 10 का पालन करेंगे, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

1. उत्सर्जन मानदंड, और

2. ध्वनि स्तर।

ग. ईंधन प्रणालियाँ:

1. ईंधन प्रणालियाँ, पूर्णत: इंजन निर्माता के विनिर्देशों और सिफारिशों के अनुसार स्थापित की जाएँगी।

2. निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे:

क. सुरक्षित और रिसाव-रोधी फिटिंग का उपयोग,

ख. ईंधन डिब्बों का पर्याप्त वायुदार, और

ग. अग्निरोधी सामग्री और घटकों का उपयोग।

घ. नियंत्रण:

i. स्टीयरिंग, थ्रॉटल और आपातकालीन नियंत्रण सहज रूप से स्थित होने चाहिए, स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए और न्यूनतम मानव प्रयास से आसानी से संचालित किए जाने वाले होने चाहिए।

ii. नियंत्रण प्रणालियों को ऑपरेटर की थकान को कम करने और प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, विशेष रूप से उच्च गति या गतिशील प्रचालन स्थितियों में।

ङ. बिल्डर प्रमाणपत्र उपरोक्त ईंधन प्रणाली संस्थापन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए जारी किया जाएगा।

च. राज्य सरकार का निर्दिष्ट प्राधिकारी इंजन और ईंधन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव के सुरक्षा पहलुओं पर आगे के दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिसमें आवधिक निरीक्षण, उत्सर्जन निगरानी और प्रमाणन के प्रावधान शामिल हैं।

5. विद्युत प्रणालियाँ

i. सभी विद्युत संस्थापन और उपकरण, जिनमें वायरिंग, बैटरी प्रणालियाँ, स्विच और संबंधित उपकरण शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे, या जहाँ लागू हो, किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ii. उप-नियम (i) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी:

क. वायरिंग: सभी विद्युत वायरिंग में समुद्री-ग्रेड, टिनयुक्त तांबे के कंडक्टर या समतुल्य मानक के अन्य वायरिंग शामिल होंगे, जो विधिवत रूप से इंसुलेटेड और समुद्री उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे। ऐसी वायरिंग को सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा, इन्हे इस प्रकार ले जाया जाएगा कि भौतिक क्षति न हो, और नमी और क्षयकारी तत्वों के संपर्क से पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

ख. बैटरी प्रणालियाँ: बैटरी प्रणालियों को पर्याप्त रूप से हवादार और सुरक्षित घेरों में स्थापित किया जाएगा। सभी बैटरियों में उचित रूप से इंसुलेटेड टर्मिनल लगे होंगे और उपयुक्त फ्यूजिंग और ओवरकरंट सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएँगे। स्थापना को रिसाव, शॉर्ट-सर्किटिंग को रोकने और कंपन और क्षयकारी प्रभाव से बचाने को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

ग. विद्युत उपकरण: स्विच, कनेक्टर और फिक्स्चर सहित सभी विद्युत उपकरण जलरोधी या जल-प्रतिरोधी प्रकार के होने चाहिए, जो समुद्री वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त हों और उप-नियम (i) में निर्दिष्ट मानकों का पालन करें। ऐसे सभी उपकरणों की स्थापना और रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रचालन सुरक्षा सुनिश्चित हो और विद्युतीय खतरे का जोखिम कम हो।

6. नौचालन और संचार

i. सभी नहर क्रूज़ नौकाएँ, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित, सुरक्षित प्रचालन, स्थितिजन्य जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नौचालन और संचार प्रणालियों से सुसज्जित होंगी।

ii. ऐसे जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे:

क. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस):

विशेष रूप से प्रतिबंधित या व्यस्त जलमार्गों में, वास्तविक समय और सटीक स्थिति ट्रैकिंग और मार्ग नौचालन को सक्षम करने के लिए एक कार्यात्मक जीपीएस इकाई स्थापित की जाएगी।

ख. संचार उपकरण:

प्रत्येक जलयान में कम से कम एक चालू स्मार्टफोन या वाटरप्रूफ मोबाइल संचार उपकरण होना चाहिए, जो निम्न में सक्षम हो:

i. अन्य जलयानों से संपर्क करने में,

ii. तट-आधारित आपातकालीन सेवाओं के साथ संचार करने में, और

iii. जहाँ उपलब्ध हो, मौसम और नौवहन संबंधी अलर्ट प्राप्त करने में।

ग. चुंबकीय कंपास: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने की स्थिति में बैकअप नौचालन सहायता के रूप में एक समुद्री-ग्रेड कंपास स्थापित किया जाएगा।

घ. राज्य सरकार या उसके निर्दिष्ट प्राधिकरण अंतर्देशीय जलयान (राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली), नियम 2025 में निर्दिष्ट ऐसे जलयानों के लिए प्रचालन क्षेत्र जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा अपेक्षाओं को अधिसूचित कर सकते हैं।

7. कार्य दक्षता व्यवस्था (एर्गोनॉमिक्स) और आराम

i. जल क्रीड़ा गतिविधियों में लगे सभी नहर क्रूज़ नौकाएं, यात्रियों और चालक दल, दोनों के लिए सुरक्षा, आराम और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए काम करने के अनुकूल परिवेश की दृष्टि से डिज़ाइन किए जाएँगे। इस डिज़ाइन में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

क. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट मानक, या

ख. वर्गीकरण सोसायटी की अपेक्षाएं, या

ग. प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक,

जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्धारित किया जा सकता है, तथा समय- समय पर यथासंशोधित

ii. डिज़ाइन विशेषताओं में निम्नलिखित न्यूनतम एर्गोनॉमिक्स अपेक्षाएं शामिल होंगी, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

क. सभी यात्री और प्रचालक के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित, आरामदायक होगी और ये उपयुक्त सीट बेल्ट या सुरक्षा बेल्ट से सुसज्जित होंगी।

ख. बैठने की व्यवस्था पर्याप्त सहारे के साथ इस प्रकार की जाएगी कि जलयान के तीव्र, गति से चलने, मुड़ने या लहरों के प्रभाव के दौरान चोट का जोखिम कम से कम हो।

8. पर्यावरण संबंधी अपेक्षाएं

सभी नहर क्रूज़ नौकाओं को अंतर्देशीय जलमार्गों पर पर्यावरण-अनुकूल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण अपेक्षाओं का पालन करना होगा:

i. सतत् निर्माण

नहर क्रूज़ नौकाओं को टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करना होगा और पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

ii. ठोस अपशिष्ट को अलग करना

जलयानों में ठोस अपशिष्ट को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग करने की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी:

क. जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट (जैसे, रसोई अपशिष्ट);

ख. गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट (जैसे, थर्मोकोल उत्पाद, एल्युमीनियम फ़ॉइल, आदि); और

ग. पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट (जैसे, समाचार पत्र, बोतलें, डिब्बे, आदि)।

घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ- साथ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य प्राधिकारी, इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

iii. अपशिष्ट जल प्रबंधन

क. सभी जलयानों में एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियाँ होंगी, जिनमें सीवेज और अपशिष्ट जल के लिए होल्डिंग टैंक शामिल हैं।

ख. मौजूदा नौकाओं को सीवेज और अपशिष्ट जल के संग्रहण और निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करनी होगी।

ग. अपशिष्ट जल का निपटान अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 2022 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

घ. अपशिष्ट जल संग्रहण टैंक

प्रत्येक नहर क्रूज़ नौका में निम्नलिखित का प्रबंधन करने के लिए पतवार से जुड़े समर्पित अपशिष्ट जल संग्रहण टैंक लगे होंगे:

i. जैव-शौचालयों से होने वाला स्राव;
ii. खाना पकाने और कपड़े धोने का पानी;
iii. जैव-शौचालयों से होने वाले स्राव को कठोर पाइपलाइनों के माध्यम से इन टैंकों से स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। लचीले होजों का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
iv. नदियों, नहरों या झीलों में किसी भी अपशिष्ट जल का सीधा स्राव निषिद्ध है।
v. टैंक की क्षमता की गणना, प्रति डबल-बेड वाले कमरे के लिए 650 लीटर के मानक के आधार पर की जाएगी।

ङ. प्लास्टिक के विकल्प

जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों जैसे कागज़ या कपड़े के थैलों के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। जलयान पर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

च. स्वच्छता और जैव-शौचालय

i. सभी नहर क्रूज नौकाओं में पर्याप्त क्षमता वाले जैव-शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी।

ii. उन्नत सीवेज सक्शन उपकरण का उपयोग करके गाद हटाने के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित किया जाएगा।

iii. जैव-शौचालय में आपातकालीन शट-ऑफ और सुरक्षित मैनुअल संचालन के लिए सुरक्षित हैंडल के साथ बॉल वाल्व शामिल होगा।
iv. मल का निस्तारण (स्लज डिस्पोज़ल) कम से कम प्रत्येक दो महीने में एक बार किया जाएगा, तथा जलयान स्वामी द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

v. स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, यूवी स्टरलाइजेशन, ओजोन ट्रीटमेंट या क्लोरीनीकरण का उपयोग करके कीटाणुशोधन प्रणालियां प्रदान की जानी चाहिए। कीटाणुशोधन प्रणालियों में क्लोरीन टैबलेट, पोटेशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$) टैबलेट या पर्यावरण अनुकूल एंजाइम-आधारित कीटाणुनाशक का उपयोग किया जा सकता है।

छ. अपशिष्ट जल टैंकों की स्थापना के बाद, स्थायित्व परीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलयान की सुरक्षा से समझौता न हो।

9. बैटरी प्रणाली और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)

i. यह खंड सभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कैनाल क्रूज़ नौकाओं पर लागू होता है। इसमें सुरक्षा, विश्वसनीयता और पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) सहित बैटरी प्रणाली के डिजाइन, स्थापना, संचालन और रखरखाव को शामिल किया गया है।

ii. बैटरी प्रणाली और बीएमएस के सभी घटक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक मानकों, या वर्गीकरण सोसायटी की आवश्यकताओं, या प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

iii. परीक्षण, प्रमाणन और निरीक्षण

क. बैटरियों और बीएमएस का परीक्षण और प्रमाणन एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी (उदाहराणार्थ, आईआरएस) द्वारा किया जाना चाहिए।

ख. आईएस 17017-21 (सामान्य आवश्यकताएँ और परीक्षण विधियाँ) का अनुपालन अनिवार्य है।

ग. सिस्टम को आईएस 9000 सीरीज या समकक्ष के अनुसार पर्यावरण परीक्षण पास करना होगा।

iv. अधिष्ठापन और रखरखाव

क. बैटरी कम्पार्टमेंट स्पष्ट रूप से चिह्नित, हवादार और केवल अधिकृत कर्मियों के लिए सुलभ होने चाहिए।

ख. उच्च क्षमता वाले बैटरी कमरों के लिए अग्नि शमन प्रणाली, अधिमानतः स्वच्छ एजेंट-आधारित, की सिफारिश की जाती है।

ग. पोत पर एक आवधिक रखरखाव सूची अनुरक्षित की जाएगी और उसे प्रमाणित कर्मियों द्वारा निष्पादित की जाएगी।

v. डेटा संग्रहण और लेखा परीक्षा

क. बीएमएस परिचालन और दोष संबंधी डेटा को न्यूनतम 180 दिनों तक संग्रहीत करेगा।

ख. सर्वेक्षण, ऑडिट या घटना के बाद की जांच के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

10. इस नियम की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अनुपालन अवधि मौजूदा जलयानों द्वारा रेट्रोफिटिंग और अनुपालन के लिए दी जाएगी।

11. उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रावधानों के लिए, अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2024 के अध्याय III और IV में निहित प्रावधान लागू होंगे, जहां तक वे इन विशेष श्रेणी के पोतों के लिए व्यावहारिक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के उपरोक्त अध्यायों में किसी एक या सभी अपेक्षाओं को छूट दे सकता है और ऐसी आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक मानकों पर विचार कर सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है—

क. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); या

ख. एक वर्गीकरण सोसायटी; या

ग. अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन

12. निर्दिष्ट प्राधिकारी, लकड़ी की कैनाल क्रूज़ नौकाओं के संबंध में, कोलीजन बल्कहेड की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है, बशर्ते कि वैकल्पिक सुरक्षा उपाय, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त और उचित समझा जाए, समतुल्य या उन्नत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विधिवत रूप से कार्यान्वित किए जाएं।

13. ऐसे जलयानों के इंजन और उसकी ईंधन आपूर्ति प्रणाली/मोटर/बैटरी और बैटरी प्रबंधन प्रणाली तथा प्रणोदन प्रणाली से संबंधित घटक, जो उपनियम 11 के अंतर्गत नहीं आते हैं, को द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जाएगा—

क. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); या

ख. एक वर्गीकरण सोसायटी; या

ग. अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन

14. कर्मीदल की अपेक्षाएं

15. इन नियमों के अध्याय-3 के अनुसार नौकाओं में न्यूनतम कर्मीदल होंगे।

16. दिन के समय छोटी अवधि की यात्रा करने वाली नहर क्रूज नौकाओं को चालक दल के आवास की अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।

17. जलयान के स्वामी को अग्निरोधी रसोई सामग्री, शुद्ध पेयजल, सौर ऊर्जा जैसे ईंधन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, प्रकाश, पंखे, हीटिंग आदि के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी उपलब्ध करानी होगी।

अध्याय 3- आंदन यानों और कैनाल क्रूज़ नौकाओं के लिए कार्मिकों की आवश्यकताएं

1. कार्मिकों के लिए निर्धारित मानकों का उद्देश्य और दायरा

ये कार्मिकों के लिए निर्धारित मानक आनंद यानों और नहर क्रूज़ नौकाओं के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये चालक दल के सदस्यों की न्यूनतम योग्यता, आवश्यक प्रशिक्षण और ज़िम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं, जिससे सुरक्षा विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो।

2. सामान्य अपेक्षाएं

आनंद यान और नहर क्रूज़ नौकाओं के कर्मीदल के सभी सदस्यों के लिए सामान्य आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

1. न्यूनतम आयु: चालक दल के सदस्यों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

2. स्वास्थ्य और फिटनेस: कर्मीदल के सदस्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए जिसका विधिवत सत्यापन एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा किया गया हो।

3. कर्मीदल को बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम तथा जीवन रक्षक पाठ्यक्रम से गुजरना होगा ।

4. इन नियमों के कार्यान्वयन पर, प्रमाणन प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे लाइसेंस जारी करेगा, जिन्हें विशिष्ट श्रेणी के आनंद यान या नहर क्रूज बोट के संचालन के उद्देश्य से सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) के समकक्ष माना जाएगा।

5. आनंद यानों या नहर क्रूज नौकाओं का संचालन करने वाले चालक दल के सभी सदस्यों के पास उनकी भूमिकाओं और संचालित किए जा रहे जलयानों के प्रकार के अनुरूप अपेक्षित लाइसेंस होना चाहिए।

6. आनंद यान चलाने संबंधी लाइसेंस, प्रमाणन प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकरण से जैसा भी लागू हो, प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस और प्रमाणन की विशिष्ट श्रेणियां यथानिर्धारित प्रपत्र क के अनुसार होगी।

7. इन नियमों के कार्यान्वयन पर, प्रमाणन प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे लाइसेंस जारी करेगा, जिन्हें आनंद यान या नहर क्रूज़ नौकाओं की विशिष्ट श्रेणी के संचालन संबंधी सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) के समकक्ष माना जाएगा।

8. नहर क्रूज़ नौकाओं के मामले में, लाइसेंस केवल फॉर्म क के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

9. प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान पर लागू कार्मिकों की न्यूनतम संख्या, जलयान के प्रकार और आकार, उसके परिचालन क्षेत्र, इंजन क्षमता और ऐसे अन्य कारकों, जिन्हें उपयुक्त समझा जाए के अनुसार, सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में दर्ज की जाएगी।

3. अर्हताएँ एवं प्रशिक्षण

3.1 प्लेजर क्राफ्ट

3.1.1 परिचालक

(क) अर्हताएँ:

i. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।

ii. प्रमाणन प्राधिकरण (एनआईडब्ल्यूएस या निर्दिष्ट प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित संस्थान) से मान्य प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र।

iii. स्थानीय नौवहन नियमों और विनियमों की जानकारी

iv. वैध नाव संचालक लाइसेंस

(ख) प्रशिक्षण:

i. जीवन रक्षक तकनीक (एलएसटी) पाठ्यक्रम में बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम के सभी घटक शामिल होंगे। चालक दल के पास वैध एलएसटी प्रमाणपत्र या बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए।

ii. जलयान संचालन, नेविगेशन और आपातकालीन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण.

iii. शांत जल में 3 मिनट से भी कम समय में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी.

3.1.2 कर्मीदल

(क) अर्हताएँ:

i. बुनियादी समुद्री कौशल।

ii. सुरक्षा उपकरणों और प्रक्रियाओं का ज्ञान।

iii. पोत पर लगी मशीनरी का बुनियादी ज्ञान।

(ख) प्रशिक्षण:

i. जीवन रक्षक तकनीक (एलएसटी) पाठ्यक्रम में बुनियादी सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम के सभी घटक शामिल होंगे। चालक दल के पास प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त वैध एलएसटी प्रमाणपत्र या बुनियादी सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए।

ii. एक अनुभवी मास्टर की देखरेख में ऑन-द- जॉब पर प्रशिक्षण।

3.2 नहर विहार (कैनल क्रुज़)

3.2.1 मास्टर या इंजन ड्राइवर

(क) अर्हताएँ:

i. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।

ii. यथासंशोधित अंतर्देशीय जलयान (कार्मिक आवश्यकता) नियम, 2022 के अनुसार बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम।

iii. उपकरण, मशीनरी, प्रणालियों और रखरखाव का ज्ञान।

iv. नहर क्रूज़ नौकाओं/हाउसबोटों के संचालन में दक्षता।

v. डेकहैंड/जीपी रेटिंग के रूप में नेविगेशन या जलयान संचालन में तीन वर्षों का अनुभव या चालक दल/जीपी रेटिंग के रूप में संचालन और रखरखाव में तीन वर्षों का अनुभव (इंजन की ओर).

(ख) प्रशिक्षण:

i. अंतर्देशीय जलयान (कार्मिक आवश्यकता) नियम, 2022, यथासंशोधित, के अनुसार बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम।

ii. जलयान संचालन, सुरक्षा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण।

iii. शांत जल में 3 मिनट से कम समय में 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी।

iv. सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान।

v. मास्टर्स के लिए नेविगेशन, संचार और सिग्नल उपकरणों का ज्ञान।

vi. इंजन चालक के लिए मशीनरी और प्रणालियों का ज्ञान।

3.2.2 कर्मी दल

(क) अर्हताएँ:

i. नहर क्रूज़ नौका प्रणालियों और रखरखाव का ज्ञान।

ii. आतिथ्य सेवाओं में अनुभव (अतिथि सेवाओं के साथ बड़ी नहर क्रूज नौकाओं के लिए)।

(ख) प्रशिक्षण:

i. बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम।

ii. शांत जल में 3 मिनट से कम समय में 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी।

iii. सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान।.

4. जिम्मेदारियाँ

इन जलयानों के प्रत्येक चालक दल की जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी: -

4.1 आनंद यान: -

i. संचालक

(क) जलयान का सुरक्षित नौवहन और संचालन सुनिश्चित करना।

(ख) प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जाँच और ब्रीफिंग आयोजित करना।

(ग) सभी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विनियमों का अनुपालन बनाए रखना।

(घ) सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा की निगरानी करना।

(ङ) लॉग बुक का रख-रखाव।

ii. कर्मीदल

(क) डॉकिंग, एंकरिंग और सामान्य जलयान संचालन में सहायता करना।

(ख) नियमित रखरखाव और सफ़ाई कार्य करना।

(ग) आपातकालीन स्थितियों में सहायता करना और मास्टर के निर्देशों का अनुपालन करना।

4.2. नहर क्रूज़ नौका

i. मास्टर

ख. जलयान का सुरक्षित नेविगेशन और संचालन सुनिश्चित करना।

ग. प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जाँच और ब्रीफिंग करवाना।

घ. सभी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ङ. सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा की निगरानी करना।

ii. चालक

ख. मुख्य इंजन और सहायक उपकरणों का संचालन

ग. सिस्टम का प्रबंधन (जैसे, मशीनरी, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी)।

घ. जलयान और उसके यांत्रिक उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ङ. लॉग बुक का रख-रखाव।

iii. चालक दल

ग. भोजन तैयार करने और हाउसकीपिंग सहित अतिथि सेवाएँ प्रदान करना।

घ. सभी मेहमानों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना।

ङ. आवश्यकतानुसार नेविगेशन और डॉकिंग में सहायता करना।

5. चालक दल का आकार और संरचना

जलयान के प्रकार और आकार के आधार पर चालक दल का न्यूनतम आकार और संरचना निम्नानुसार होगी: -

i. आनंद यान:

अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अनुसार, आनंद यान के लिए कार्मिकों की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	जलयान का विवरण	जलयान की लंबाई	इंजन की शक्ति	नाव चालक/ संचालक	कर्मीदल
1.	टिलर/रिमोट संचालित ओबीएम के साथ नौकायन	< 3.5 मीटर	OBM- <30 एचपी	01 – पीबीएच-टी/आर- और एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित	-
2.	टिलर/रिमोट संचालित ओबीएम/इनबोर्ड इंजन के साथ नौकायन	< 6 मीटर	i. टिलर संचालित ओबीएम- < 40 एचपी, ii. रिमोट संचालित ओबीएम/इनबोर्ड	01 – पीबीएच-टी प्रमाणित 01 – पीबीएच-आर प्रमाणित	01 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित

			इंजन - < 75 एचपी		
3.	रिमोट संचालित ओबीएम/इनबोर्ड इंजन के साथ नौकायन	6 - 10 मीटर	i. टिलर संचालित ओबीएम - < 40 एचपी ii. रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन - < 90 एचपी	01 – पीबीएच-टी प्रमाणित 01 – पीबीएच-आर प्रमाणित	01 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
4.	स्पीड बोट रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन	< 6 मीटर	रिमोट संचालित ओबीएम/इनबोर्ड इंजन - > 50 एचपी	01 – पीबीएच-आर प्रमाणित	01 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
5.	स्पीड बोट रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन	6 - 10 मीटर	रिमोट संचालित ओबीएम/इनबोर्ड इंजन - > 50 एचपी	01 – पीबीएच-आर प्रमाणित	02 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
6.	व्यक्तिगत जलयान (जेट स्की)	<3.5 मीटर	इनबोर्ड जेट इंजन 90 – 310 एचपी	01 – पीडब्ल्यूसी/जेट स्की प्रमाणित	-
7.	पैरा सेलिंग नाव	10 मीटर	रिमोट संचालित इनबोर्ड इंजन > 250 एचपी	नाव चालक- 01 ऑपरेटर पीबीएच-आर और पैरासेलिंग संचालन प्रमाणित	क्रू- 02 क्रू एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित

टिलर-नियंत्रित पावर बोट हैंडलिंग (पीबीएच –टी)

रिमोट-नियंत्रित पावर बोट हैंडलिंग (पीबीएच - आर)

व्यक्तिगत जलयान/जेट स्की संचालन (पीडब्ल्यूसी /जेट स्की)

जीवन रक्षक तकनीक जल क्रीड़ा (एलएसटी –डब्ल्यूएस)

ii. नहर क्रूज़ नौकाएँ:

नहर क्रूज़ नौकाओं के लिए न्यूनतम कार्मिक की आवश्यकता इस प्रकार होगी:

क. 20 से कम यात्रियों की क्षमता वाली नहर क्रूज़ नौकाओं के लिए एक मास्टर/इंजन चालक और 1 चालक दल होना आवश्यक है।

ख. 20 से 50 यात्रियों की क्षमता वाली नहर क्रूज़ नौकाओं के लिए एक मास्टर, एक इंजन चालक और एक क्रू होना आवश्यक है।

ग. रात्रि क्रूज़ के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों की सिफारिश की जा सकती है।

घ. स्थिर और लंगर डाले हुए नहर क्रूज़ नौकाओं हेतु, मालिक के पास नहर क्रूज़ नाव चलाने के लिए एक मास्टर और चालक लाइसेंस होना आवश्यक है।

6. अनुपालन की सीमा:

आनंद यानों और नहर क्रूज़ नौकाओं के मौजूदा चालक दल इन जलयानों का संचालन जारी रखेंगे और उन्हें इन नियमों में निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए 3 वर्ष की अवधि दी जाएगी।

प्रपत्र क

लाइसेंस के लिए .....

(राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान [एनआईडब्ल्यूएस] या निर्दिष्ट प्राधिकरण के आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किया जाएगा)

1. लाइसेंस का विवरण

प्रमाणपत्र संख्या: _____

लाइसेंस का प्रकार: _____ कर्मीदल की श्रेणी: _____

जारी करने की तिथि: (दिन-माह-वर्ष)

लाइसेंस धारक की तस्वीर

(पासपोर्ट आकार का फोटो - मुहर लगी और सत्यापित)

लाइसेंस की वैधता: (दिन-माह-वर्ष) से (दिन-माह-वर्ष) तक

2. लाइसेंस धारक विवरण

पूरा नाम: _____

पिता/माता का नाम: _____

जन्म तिथि: (दिन-माह-वर्ष)

रक्त समूह: _____

आधार/आईडी नंबर (वैकल्पिक): _____

3. संपर्क जानकारी

स्थायी पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल पता: _____

4. अर्हताएँ एवं प्रमाणन

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण: _____

प्रमाणपत्र संख्या (पाठ्यक्रम पूर्ण): _____

पूरा करने की तिथि: | (दिन-माह-वर्ष)

प्रशिक्षण संस्थान: _____

5. टिप्पणी (यदि कोई हो)

6. लाइसेंस धारक द्वारा घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं समझता/समझती हूँ कि वैधता अवधि के बाद लाइसेंस का उपयोग करना निषिद्ध है और नवीनीकरण करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है।

धारक के हस्ताक्षर: _____ दिनांक: (दिन-माह-वर्ष)

7. जारीकर्ता प्राधिकारी

अधिकारी का नाम: _____

पदनाम: _____

जारीकर्ता प्राधिकारी: राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान / निर्दिष्ट प्राधिकारी

कार्यालय का पता:

जारी करने का स्थान: _____

हस्ताक्षर, मुहर के साथ: _____

जारी करने की तिथि: (दिन-माह-वर्ष)

लाइसेंस धारक के लिए निर्देश

1. इस लाइसेंस की समाप्त होने की तिथि के बाद इसका उपयोग सख्त वर्जित है।

2. लाइसेंस को नवीकरण करने की पूरी ज़िम्मेदारी धारक की है।

3. नवीकरण करते के समय मूल लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

4. एनआईडब्ल्यूएस या निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास लागू नियमों के अनुसार इस लाइसेंस को नवीकरण, निलंबित या रद्द करने का अधिकार है।

प्रपत्र संख्या 1

जलयान के डिज़ाइन और निर्माण मानक के संबंध में मालिक द्वारा घोषणा

सेवा में,

सर्वेक्षक/निर्दिष्ट प्राधिकारी,

[राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुद्री बोर्ड या प्राधिकृत संस्था का नाम लिखें],

[पता लिखें]।

तिथि: (दिन-माह-वर्ष)

विषय: जलयान के डिजाइन और निर्माण मानकों के अनुपालन संबंधी घोषणा।

मैं, [पूरा नाम], पुत्र/पुत्री [पिता/माता का नाम], आयु [आयु] वर्ष, [पूरा पता] का निवासी हूँ, नीचे वर्णित जलयान का स्वामी होने के नाते, एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार घोषणा और अभिपुष्टि करता हूँ:

1. जलयान का विवरण:

ii. जलयान का नाम: [जलयान का नाम लिखें]

iii. जलयान का प्रकार: [उदाहरण: यात्री, मालवाहक, ड्रेजर, सर्वेक्षण, आदि]

iv. पतवार पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो): [एचआईएन लिखें]

v. निर्माण सामग्री: [उदाहरण: स्टील, जीआरपी/एफआरपी, लकड़ी, आदि]

vi. लंबाई (एलओए): [XX.XX] मीटर

vii. चौड़ाई (ख): [XX.XX] मीटर

viii. गहराई (घ): [XX.XX] मीटर

ix. ड्राफ्ट: [XX.XX] मीटर

x. निर्माण वर्ष: [YYYY]

xi. निर्माण स्थान: [कार्यशाला/शिपयार्ड का नाम और पता]

xii. निर्माता का नाम: [यदि लागू हो]]

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जलयान का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया गया है: -

……...

3. मैं प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और सांविधिक डिजाइन और निर्माण मानकों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे ज्ञात है कि किसी भी असत्य बयान या गलत बयान के परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत दंड, पंजीकरण रद्द करना या अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

4. मैं यह सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि जलयान समुद्र में चलने योग्य स्थिति में बना रहे और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।

स्थान: [शहर/नगर]

दिनांक: [दिन-माह-वर्ष]

स्वामी के हस्ताक्षर: _____

स्वामी का नाम: [पूरा नाम]

मोबाइल नंबर: []

ईमेल आईडी: [example@email.com]

पता: [पूरा आवासीय पता]

प्रपत्र संख्या 2

उपयुक्तता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

(अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत)

सेवा में:
प्राधिकृत अधिकारी
[पत्तन/राज्य आईडब्ल्यूटी/एमबी का नाम]
[पता]

1. जलयान और स्वामित्व विवरण

विशेष	विवरण
जलयान का नाम	_____
पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	_____
स्वामी/संचालक का नाम	_____
स्वामी/संचालक का पता	_____
संपर्क विवरण	_____

2. पोत विनिर्देशन

विशेष	विवरण
जलयान का प्रकार	□ यात्री □ मालवाहक □ अन्य: _____
	□ स्टील □ लकड़ी □ जीआरपी □ एफआरपी □ मिश्रित □ अन्य:
पतवार की सामग्री	_____
प्रणोदन का प्रकार	□ ओबीएम □ इनबोर्ड इंजन
	□ डीजल/पेट्रोल □ विद्युत-बैटरी चालित □ सीएनजी/एलएनजी □
इंजन का प्रकार	हाइड्रोजन □ मेथनॉल □ अन्य: _____
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × गहराई)	_____ मीटर × _____ मीटर × _____ मीटर
ड्राफ्ट	_____ मीटर
निर्माण वर्ष	_____
इंजन का विवरण (यदि लागू हो)	_____
संचालन क्षेत्र:	_____

आवेदन का उद्देश्य

□ प्रारंभिक प्रमाणन

□ प्रमाणपत्र संख्या _____ का नवीनीकरण

4. घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं, और मैं अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण, मशीनरी और परिचालन शर्तें लागू मानकों के अनुरूप हैं।

स्वामी/संचालक के हस्ताक्षर: _____

दिनांक: ___ / ___ / 20___

स्थान: _____

प्रपत्र संख्या 3

विशेष श्रेणी के पोत के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र

(अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत जारी)

प्रमाणपत्र संख्या: _____

जारी करने की तिथि: ___ / ___ / 20___

वैधता: ___ / ___ / 20___ तक

जारीकर्ता प्राधिकारी: _____

1. पोत की पहचान

विषय	विवरण
जलयान का नाम	_____
पंजीकरण संख्या	_____
स्वामी/संचालक का नाम और पता	_____
	□ स्टील □ लकड़ी □ जीआरपी □ एफआरपी □ मिश्रित □ अन्य:
पतवार सामग्री	_____
प्रणोदन प्रकार	□ ओबीएम □ इनबोर्ड इंजन
□ डीजल/पेट्रोल □ विद्युत-बैटरी चालित □ सीएनजी/एलएनजी □	
इंजन प्रकार	हाइड्रोजन □ मेथनॉल □ अन्य: _____
जलयान का प्रकार	_____
परिचालन क्षेत्र	_____

2. मुख्य विवरण

विषय	विवरण
कुल लंबाई (एलओए)	_____ मीटर

चौड़ाई _____ मीटर

गहराई _____ मीटर

ड्राफ्ट _____ मीटर

इंजन का प्रकार और शक्ति _____

यात्री क्षमता (यदि कोई हो) _____ व्यक्ति

कार्गो क्षमता (यदि कोई हो) _____ मीट्रिक टन

3. सुरक्षा अनुपालन और लोड लाइन

जलयान का सर्वेक्षण किया गया है और पाया गया है कि यह निम्नलिखित के अनुरूप है:

• वर्गीकरण के अनुसार सुरक्षा उपकरण अपेक्षाएँ

• उत्प्लावन और प्लवनशीलता पर्याप्तता

• लोड लाइन चिह्न लगाए गए और सत्यापित किए गए (□ हाँ □ लागू नहीं)

• इंजन और प्रणोदन प्रणालियाँ (जहाँ लागू हो)

• नौवहन और संरचनात्मक सुरक्षा

• अग्नि और जीवन रक्षक उपकरण

4. संचालन की शर्तें (यदि कोई हों)

□ केवल अच्छे मौसम/दिन के उजाले में संचालन के लिए सीमित

□ अधिकतम अनुमत व्यक्ति: _____

□ अधिकतम कार्गो भार: _____ मीट्रिक टन

□ सीमित परिचालन क्षेत्र: _____

□ अन्य: _____

5. प्रमाणन

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त जलयान का निरीक्षण किया गया है और यह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021, अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष श्रेणी जलयान के रूप में परिचालन के लिए उपयुक्त है।

सर्वेक्षक का नाम: _____

पदनाम: _____

हस्ताक्षर और मुहर: _____

दिनांक: ___ / ___ / 20___

टिप्पणी : यह प्रमाणपत्र प्रत्येक समय जलयान पर रखा जाएगा। पूर्व सर्वेक्षण और अनुमोदन के बिना संरचना, मशीनरी या विन्यास में कोई भी परिवर्तन इस प्रमाणपत्र को अमान्य कर देगा।

[फ़ा. सं. आईडब्ल्यूटी-II-12011/8/2025- आईडब्ल्यूटी-II]
डॉ. कमलाकांत नाथ,सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2025

G.S.R. 857(E).—— The following draft of the Inland Vessels (Special Category: Pleasure Craft and Canal Cruise Boats) Rules, 2025, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of Section 42 read with Section 106(2)(zh) and Section 98(1)(a) of The Inland Vessels Act, 2021 is hereby published as required by sub-section (1) of section 106 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT-I) Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at diriwt1-psw@gov.in and psw-usiwt2@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government

Inland Vessels (Special Category: Pleasure Craft and Canal Cruise Boats) Rules, 2025

1. **Short title and commencement.** (1) These Rules may be called the Inland Vessels (Special Category: Pleasure Craft and Canal Cruise Boats) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

1. In these rules, unless the context otherwise requires -
    a. "Act" means The Inland Vessels Act, 2021;
    b. "Applicant" means the owner of the pleasure crafts or Canal Cruise boats, applying for registration or survey of these boats or any other requirement as may be prescribed by the Central Government;
    c. "fair season" means the period showing fair conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or as may be prescribed by appropriate authority of Central or State Government;
    d. “foul season” means the period showing foul conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or as may be prescribed by appropriate authority of Central or State Government;

e. “beach” or “shore” or “bank” means the strip or area of waterfront land that is located alongside a body of water;
f. "Certification Authority" means National Institute of Water Sports (NIWS) or any other authority prescribed by Central Government or State Government, responsible for providing training and issuing licenses (which shall be equivalent to certificate of competency) to crew members operating pleasure crafts within inland waters ;
g. “Canal Cruise Boats” i.e House Boats” means a boat that has been designed or modified to be used primarily as a temporary accommodation for commercial activities like tourism purposes, meetings/conference or for private use which may be slowly propelled or kept stationary at a fixed point and often tethered to land to provide utilities or facilities of a luxurious stay or any such recreational activity;
h. "Designated Authority" means the authority appointed by the State Government under sub section (3) of section 5 of the Act;
i. “pleasure craft” means any floating craft or boat of length less than 10 meters and propelled with mechanized means and being used for water sports, river or lake cruise or yachting, boating, water skiing, jet skiing, speed boating and such other such recreational activities
j. "operator" means a person operating a pleasure craft;
k. "Registrar" means the officer appointed by the State Government under Section 20 of the Act;
l. “Surveyor” means the officer appointed by the State Government under Section 10 of the Act.

2. Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **Applicability:**

These rules shall be applicable to pleasure crafts and canal cruise boats (of not more than 30 m in length having carrying capacity of up to 50 passengers) plying within the inland waters of the States.

4. **Scope and application.**

1. The requirements in the following Rules shall apply to special category vessels identified pursuant to these rules: -

a. Inland Vessels (Registration and Other Technical Issues) Rules, 2022
b. Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022
c. Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022
d. Inland Vessels (Central database and allied matters) Rules, 2024
e. Inland Vessels (Prior Approval for Alteration and Modification) Rules, 2025

2. The following classes or categories of mechanically propelled inland vessels shall be considered as special category vessels considering their use or purpose for water sports activities and recreational activities:

a. Pleasure Crafts;
b. Canal Cruise Boats with Inboard or Outboard Motors or battery propelled carrying upto 50 passengers;

3. The criteria and standards for design and construction of vessels designated as special category vessels in sub rule (2) are contained in the Chapter-1 and Chapter-2 of schedule to these rules.
4. The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (2), shall be designed, constructed, and maintained under the survey and supervision of the designated authority or
such person or organization as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

PROVIDED that, in case the owner of the vessel willingly decides to have the vessel constructed and maintained under the survey of a Classification Society, the survey carried out by such Classification Society shall be in addition to the survey carried out by the designated authority or by such person or organization as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

5. Certification and statutory requirements:
The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (1), shall ensure following compliances: -

1. Safety Measures and Load line Requirements

(a)The vessel shall be provided with safety gear, equipment and structural features in accordance with its area of operation as prescribed by the respective State Government.

(b)The maximum carrying capacity of the vessel shall be determined by such criteria as may be prescribed by the State Government, which may include but not limited to:

i. the specification of a safety load line or load line limits to ensure buoyancy;
ii. other condition necessary to ensure the safe voyage of such vessel, in addition to those provided elsewhere under the Act.

(c)the maximum carrying capacity of the vessel shall be endorsed in the certificate of fitness.

2. Appointment of officers and grant of certificate of fitness

The State Government shall appoint or authorize such number of officers, as may be necessary for the purpose of implementation and enforcement of the provisions under the Chapter VII of the Act and these rules.

a. The authorized officer shall be empowered to:

i. receive and process applications for fitness certification of these vessels;
ii. conduct inspections and surveys;

iii. issue, suspend, or cancel certificates of fitness; and
iv. record and maintain reasons for refusal, suspension, cancellation, or other enforcement actions taken under these rules.

b. Upon an application made by the owner, operator, or master of any mechanically propelled inland vessel, in such form and manner as may be prescribed by the State Government, the authorized officer shall, upon being satisfied that the vessel:

i. meets the prescribed safety, structural, and stability standards;
ii. is equipped with the requisite safety equipment;
iii. bears appropriate load line markings, as applicable; and
iv. complies with the provisions of The Inland Vessels Act, 2021 and these rules,

issue a certificate of fitness indicating the carrying capacity of the vessel, in such form and manner as may be prescribed by the respective State Government.

c. The certificate of fitness shall be issued subject to fulfillment of such conditions as may be prescribed by the State Government, which may include but not limited to—

i. Possession of valid survey and insurance certificate;
ii. payment of applicable fees;
iii. procedures for renewal
iv. inspection requirements, including annual or such other periodicity as may be specified by the State Government; and
v. operational restrictions.

d. A model format of the application for certificate of fitness (Form–2) and the certificate of fitness (Form–3) is annexed for reference and adoption by State Governments for uniformity with these rules.

3. Inter-State Operation and powers/responsibilities

(a) The home State shall be the sole authority for issuing the certificate of fitness for a special category vessel.

(b)Such vessels holding a valid certificate of fitness issued by the home State shall be permitted to operate in any other State, without requiring a duplicate or separate certification from other State, provided that:

(i)the certificate of fitness issued by the home State is accepted by the State in which the vessel is intended to be operated; and

(ii)prior intimation is given to the intended State of operation, and any conditions imposed by that State are duly complied with.

(c)The Central Government shall facilitate inter-State data exchange mechanisms for the validation and verification of Certificates of Fitness issued by the home State, enabling seamless operation of Special Category Vessels across States.

4. Inspection by Surveyor

(a)A surveyor appointed under the Act, other than for the purpose of a scheduled survey, may at any reasonable time, board a special category vessel for the purpose of inspection. Such inspection may include, but not be limited to, examination of:

i. the hull,
ii. equipment,
iii. machinery, and
iv. any part or properties of the vessel.

(b)The owner, operator, agent, master, or any person in charge of the vessel shall:

i. provide all necessary access and facilities to the surveyor for conducting the inspection or survey, and
ii. furnish such information regarding the vessel, its machinery, equipment, or any part thereof, as the surveyor or any authorised officer may reasonably require.

5. Enforcement of Compliance and Suspension or Cancellation of Certificate of Fitness

i. A vessel identified as a special category vessel pursuant to these rules shall obtain the certificate of fitness within a period of six months from the date of commencement of these rules.

ii. If any mechanically propelled inland vessel identified as a special category vessel under these rules, is found to be in non-compliance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, the State Government may issue a notice of rectification to the owner, operator, master, or person in charge of the vessel, specifying the nature of non-compliance and the time within which such rectification must be completed.

iii. In the event that the non-compliance continues beyond the time specified in the notice issued under sub-section (1), the State Government may—after giving the concerned person an opportunity to be heard and recording reasons in writing—suspend or cancel the Certificate of Fitness granted to such vessel under these rules.

iv. A vessel whose Certificate of Fitness has been suspended or cancelled under sub-section (2) shall:

i.cease to operate until such suspension is revoked; or
ii.in the event of cancellation, cease to operate until a new Certificate of Fitness is granted in accordance with the provisions of this Chapter.

6. Appeal: State Government shall appoint an appellate authority for grievance redressal under these rules. An aggrieved applicant may file an appeal against the decision of refusal, suspension or cancellation of fitness certificate to the designated appellate authority of the State Government within 30 days from the date of communication of such order.

6. **Obligations of the Owner of Pleasure Craft or Canal Cruise Boat**

1. Crew training, certification and minimum manning requirements
    a. The vessel shall be manned by the minimum number of crew members as prescribed under Chapter 3 of these rules.
    b. The Owner shall engage only qualified and competent crew members who hold a valid license issued by the Certification Authority or Designated Authority. The Owner shall ensure that each such crew member is properly trained and certified in the following areas:

i. Manning and operation of the pleasure craft or canal cruise boat and its equipment, as applicable;
ii. Maintenance of the pleasure craft or canal cruise boat, including all onboard machinery, equipment, and lifesaving appliances, ensuring they remain in good operational condition; and
iii. Lifesaving procedures, first aid, and emergency response techniques.

c. The detailed requirement for Crew Training and Certification for Pleasure Craft and Canal Cruise Boat are annexed as Chapter-3 of schedule to these rules.

2. Area of Operation

a. The Owner shall specify the intended area of operation at the time of registration of the pleasure craft or canal cruise boat with the Designated Authority. The vessel shall only be employed for water sports or recreational activities within the declared area of operation.
b. Pleasure crafts shall operate strictly within visual range of the shore and shall remain clearly visible at all times during operation.
c. Canal cruise boats shall operate exclusively within the area allocated by the Designated Authority.

3. Operational Restrictions

Unless expressly permitted otherwise, operation of the pleasure craft or canal cruise boat shall be confined to daylight hours, fair weather, and safe conditions, taking into consideration factors such as wind speed, unseasonal rainfall, and inland water swells.

4. Hours of Operation

Subject to compliance with safe operating conditions, the Owner shall adhere to the operational hours specified in the certificate of fitness granted by the authorized officer of State Government.

5. Penalties for Non-Compliance

a. The owner of the vessel shall ensure compliances of all relevant provisions of the Act and rules framed there under applicable to them in addition to these rules. The following valid documents are mandatory for these vessels for plying in Inland Waters:

i. Certificate of Registration.
ii. Survey Certificate.
iii. Insurance Policy.
iv. Fitness Certificate.
v. Prevention of Pollution Certificate.

b. The owner shall make available all the above requisite documents at all times and shall produce the same on demand to the officers or authorities appointed by the State Government under relevant provisions of the Act.
c. Failure to comply with any provision of these rules shall render the Owner liable to penalties, fines, or other actions as may be imposed under Section 87 of The Inland Vessels Act, 2021.

Schedule

Chapter 1- Criteria and Standards for Pleasure Crafts used for Water Sports Activities

1. These standards are hereby prescribed to ensure the safety, performance, and regulatory compliance of pleasure crafts up to length of 10 m engaged in water sports activities, including but not limited to vessels employed for parasailing operations.
2. **Construction**

The standards for materials, structural requirements, and construction techniques for such vessels shall be: -

i. Hull Design: The hull design shall provide stability, buoyancy, and smooth handling. Hullform may be catamaran, monohull or multihull configuration as applicable and shall comply with applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended.

ii. Reinforcements: Stress points, such as the transom and hull-deck joints, shall be reinforced to withstand the loads imposed during high-speed manoeuvres. Applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended shall be complied.

iii. Structure

The structural design shall comply with applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended.

a. Loading Conditions: The loading conditions shall be analysed using FE analysis or equivalent computational methods with respect to applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended.
b. Material Selection: Material selection and Scantling Calculations shall comply with all applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended.

iv. Materials:

a. Material Quality Requirement: All components shall be constructed using high-quality, marine-grade materials resistant to corrosion, UV radiation, and mechanical wear.
b. Type of Materials for construction: These include, but are not limited to steel, aluminium, fiberglass, marine plywood, carbon fibre, polyvinyl chloride (PVC), polyurethane, Hypalon, and polyethylene (LDPE and HDPE).
c. Compliance Standards: All materials used shall conform to applicable Indian Standards, Classification Society requirements, or relevant International Standards, as amended.

3. **Stability and Buoyancy**

i. The stability and buoyancy requirements of pleasure crafts used for water sports and related activities shall comply with:

a. standard specified by Bureau of Indian Standards, or
b. requirements of a classification society, or

c. relevant international standards.

ii. The maximum carrying capacity of pleasure crafts shall be determined in accordance with:

a. specified safety load lines, or
b. other criteria and conditions necessary to ensure the vessel remains afloat during its intended operation as per provisions in the Act; and
c. other conditions necessary to ensure safe voyage of such vessels, in addition to those provided else where under the Act.

as may be prescribed by the State Government, in accordance with sub-section (2) of Section 42 of The Inland Vessels Act, 2021.

4. **Safety Equipment**

i. All pleasure crafts shall be equipped with safety gear and equipment in accordance with their categorisation, as may be prescribed by the State Government.

ii. Without prejudice to sub-section (1), the following minimum safety equipment shall be provided onboard all such vessels:

(a) Personal Flotation Devices (PFDs):
Approved Type III or Type V PFDs for each person onboard.

(b)First Aid Kit:
(c)A fully stocked first aid kit, accessible and waterproof.

(d)Signalling Devices:
(e)A whistle, sound-producing device (horn), and approved visual distress signals (e.g., flares).

(f)Navigation Lights:
As specified under The Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signal) Rules, 2022.

(g) Fire Extinguishers:
DCP-type fire extinguishers based on vessel category and fuel type as following:

Sl. No.	Vessel Type	Length	Engine Power	Minimum Safety Equipment
1	Excursion boat (Tiller/Remote OBM)	< 3.5 m	OBM < 30 HP	- Rescue Tube (1) - 2 kg DCP Fire Extinguisher (1)
2	Excursion boat (Tiller/Remote OBM/Inboard)	< 6 m	Tiller OBM < 40 HP Remote OBM/Inboard < 75 HP	- Rescue Tube (1) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Fire Extinguisher (1)

3	Excursion boat (Remote OBM/Inboard)	6 – 10 m	Tiller OBM < 40 HP Remote OBM/Inboard < 90 HP	- Rescue Tube (2) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Fire Extinguisher (1)
4	Speed boat (Remote OBM/Inboard)	< 6 m	> 50 HP	- Rescue Tube (1) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Fire Extinguisher (1)
5	Speed boat (Remote OBM/Inboard)	6 – 10 m	> 50 HP	- Rescue Tube (2) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Fire Extinguisher (1)
6	Personal Watercraft (Jet Ski)	< 3.5 m	90–310 HP Inboard Jet Engine	- Throw Bag (1) - 2–4 kg DCP Fire Extinguisher (1)
7	Parasailing Boat	10 m	Inboard > 250 HP	- Rescue Tube (1) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Fire Extinguisher (1)

5. **Engine and Fuel Systems**

i. All engine and fuel system equipment of pleasure crafts used for water sports and related activities shall comply with:

a. standard specified by Bureau of Indian Standards, or
b. requirements of a classification society, or
c. relevant international standards.

ii. All pleasure crafts intended for water sports and similar activities, shall be fitted with engines and fuel systems that meet applicable safety, environmental, and construction standards as prescribed by the State Government.

iii. Engines:

a. Only marine-grade engines, specifically designed for water sports and high-performance applications, shall be installed.
b. All engines shall comply with Section 9 and Section 10 of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, as amended, with particular reference to:

1. Emission norms, and
2. Noise level.

c. Fuel Systems:

1. Fuel systems shall be installed strictly in accordance with the engine manufacturer's specifications and recommendations.
2. Builders shall ensure:

a. Use of secure and leak-proof fittings,
b. Adequate ventilation of fuel compartments, and
c. Use of fire-resistant materials and components.
d. Controls:

1. Steering, throttle, and emergency controls shall be intuitively placed, clearly marked, and easily operable with minimal physical effort.
2. Control systems shall be designed to reduce operator fatigue and enhance responsiveness, particularly in high-speed or dynamic operating conditions.

e. A Builder's Certificate shall be issued confirming compliance with the above fuel system installation standards.
f. The Designated Authority or appropriate authority of the State Government may issue further guidelines on safety aspects of installation and maintenance of engine and fuel systems, including provisions for periodic inspection, emissions monitoring, and certification.

6. **Electrical Systems**

i. All electrical installations and equipment, including but not limited to wiring, battery systems, switches, and associated apparatus, shall conform to the standards and specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards, or where applicable, the requirements of a recognized Classification Society or internationally accepted standards, as may be amended from time to time.

ii. Without prejudice to the generality of sub-rule (i), the following requirements shall apply:

a. Wiring: All electrical wirings shall consist of marine-grade, tinned copper conductors or other wiring of equivalent standard, duly insulated and appropriate for marine use. Such wiring shall be securely fastened, routed to prevent physical damage, and adequately protected against exposure to moisture and corrosive elements.
b. Battery Systems: Battery systems shall be installed in adequately ventilated and secured enclosures. All batteries shall be fitted with properly insulated terminals and provided with suitable fusing and overcurrent protection devices. The installation shall be designed to prevent spillage, short-circuiting, and ensure resistance to vibration and corrosion.
c. Electrical Equipment: All electrical equipment including switches, connectors, and fixtures, shall be of waterproof or water-resistant type, suitable for use in marine environments, and shall comply with the standards referred to in sub-rule (i). All such equipment shall be installed and maintained in a manner that ensures operational safety and mitigates the risk of electrical hazard.

7. **Navigation and Communication**

i. All pleasure crafts and water sports vessels, shall be equipped with navigation and communication systems necessary for ensuring safe operation, situational awareness, and emergency response.

ii. The following minimum equipment shall be provided onboard such vessels:

a. Global Positioning System (GPS):
A functional GPS unit shall be installed to enable real-time and accurate positional tracking and route navigation, especially in restricted or busy waterways.

b. Communication Devices:
Each vessel shall carry at least one operational smartphone or waterproof mobile communication device, capable of:
   i. Contacting other vessels,
   ii. Communicating with shore-based emergency services, and
   iii. Receiving weather and navigational alerts where available.

c. Magnetic Compass: A marine-grade compass shall be installed as a backup navigational aid in the event of electronic equipment failure**.**

iii. . The State Government or its Designated Authority may notify additional requirements based on operational area risk assessments for such vessels as specified in Inland Vessels (National River Traffic and Navigation System), Rules 2025.

8. **Ergonomics and Comfort**

i. All pleasure crafts and water sports vessels engaged in water sports activities, shall be ergonomically designed to ensure safety, comfort, and efficient operation for both passengers and crew. The design shall comply with:

a. Standards specified by Bureau of Indian Standards), or
b. Requirements of a Classification Society, or
c. Relevant International Standards,

ii. The design features shall include, but not be limited to, the following minimum ergonomic requirements:

a. All passenger and operator seating shall be secure, comfortable, and fitted with appropriate seat belts or safety restraints.
b. Seating shall provide adequate support to minimize injury risk during rapid acceleration, maneuvering, or wave impacts.

9. **Additional requirements for Parasailing Boats, Scuba Diving Boats and Rescue Boat**

a. Winch of Parasailing Boat shall be designed as per applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended. The minimum requirements to be met in this regard are: -

i. Winch drum with rope liner shall be constructed with Stainless Steel 316 or anodized aluminium.
ii. Hydraulic motor working pressure shall be upto min 190 bar.

iii. Stainless Steel 316 mast for parasail rope having tested load capacity of 1.3 to 1.5 ton shall be used.
iv. Parasail towlines shall be Polyamide/ Nylon braided with a minimum rated tensile strength between 4 – 5 Ton.
v. Parasail towlines shall not exceed the maximum length recommended by the towline, winch and parasail equipment manufacturers (shortest length recommended by these three shall be considered for limiting the maximum length).

b. Scuba Diving Boat shall be designed duly considering applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended. The minimum requirements to be met in this regard are: -

i. Provision for stowing minimum 10 nos. of BCD Sets
ii. Provision of Swim Platform for diver's entry & exit in water
iii. Stainless Steel Ladder with 75° inclination for re-boarding of diver from water.

c. Rescue Boat shall be designed considering applicable Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended. Rescue boat used for the safety during water sports activity shall meet minimum requirement of: -

i. Upto 05 seating capacity or minimum 6 m.
ii. Sufficient space to place spine board on the deck.
iii. Provision for stowing portable oxygen cylinder and First Aid kit.

d. The State Government or authorised officer may notify additional safety requirements based on operational area risk assessments for these vessels.

Chapter 2- Criteria and Standards for Canal Cruise boats (less than 30 meters in length)

1. **Scope and Applicability**

These standards establish the safety, performance, and regulatory compliance requirements for Canal Cruise boats operating in inland waterways. They apply to Canal Cruise boats that:

1. shall be less than 30 meters in overall length;
2. shall be intended for recreational use; and
3. shall be powered by inboard motors, outboard motors, or battery propulsion systems.
4. shall be carrying not more than 50 passengers.

2. **General Requirements**

1. Canal Cruise boats may vary in shape and size depending on the amenities provided, such as bedrooms with attached bathrooms, living areas, kitchens, and open decks.
2. Canal Cruise boats are categorized into two types: those that propel slowly and those that are stationary/moored alongside, where electricity and water supply are fixed.
3. The boat's engine or motor shall operate on any fuel such as diesel, petrol, dual fuel, battery, or biofuel. Fuel storage shall be in a restricted area, free from hazards. Lighting shall be powered by solar panels, or batteries.

4. Kerosene-powered engines are prohibited for propulsion and power generation.
5. The room size specified for Canal Cruise Boats should be as follows:

(i)Bedroom: 80 sqft

(ii)Living/Dining Area: 75 sqft

(iii)Attached Bathroom: 25 sqft

(iv)Kitchen: 75 sqft

6. Bedrooms may have electric ceiling or wall-mounted fans and mosquito screens or nets.
7. Bathroom floors shall be impervious to water.
8. High-quality linen, cutlery, crockery, glassware, and toiletries shall be provided.
9. Bottled water or purified water dispensers shall be available for drinking purposes.

3. **Materials:**

a. Material Quality Requirement: All components shall be constructed using high-quality, marine-grade materials resistant to corrosion, UV radiation, and mechanical wear.
b. Type of materials for construction: these include, but are not limited to steel, aluminium, fiberglass, marine plywood, carbon fibre, polyvinyl chloride (PVC), polyurethane, Hypalon, and polyethylene (LDPE and HDPE).
c. Compliance Standards: All materials used shall conform to applicable Indian Standards, Classification Society requirements, or relevant International Standards, as amended.
d. Hull Design: The hull design shall provide stability, buoyancy, and smooth handling. Hull Design shall comply standards specified by Bureau of Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended.
e. Reinforcements: Stress points, such as the transom and hull-deck joints, shall be reinforced to withstand the loads imposed during high-speed manoeuvres. Applicable standards specified by Bureau of Indian Standards or Classification Society requirements or International Standards as amended shall be complied with.

4. **Stability and Buoyancy**

Canal Cruise boats shall comply with IV of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, insofar as they are practicable for these special category vessels. The designated authority may exempt any or all requirements in above chapter of aforementioned rules and consider alternate standards for such requirements as specified by—

a. Bureau of Indian Standards (BIS); or
b. a classification society; or
c. International Standards Organization

5. **Minimum Safety Equipment**

a. All Canal Cruise boats shall be equipped with safety gears and equipment appropriate to their category, as may be prescribed by the respective State Government.
b. Without prejudice to sub-clause (a), the following minimum safety equipment shall be provided onboard all such vessels:

i. Firefighting Appliances (FFA):
Firefighting equipment shall be provided in accordance with the provisions of the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022, and any amendments thereto.
ii. Life Saving Appliances (LSA):
Lifesaving appliances shall comply with the standards specified under the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022, as amended from time to time.
iii. First Aid and Distress Equipment:
A fully stocked first aid kit and appropriate distress signalling devices shall be made available onboard.
iv. Emergency Alarm Systems:
Emergency alarm buttons or systems shall be installed to alert crew and passengers in the event of an emergency, ensuring prompt response and evacuation if necessary.
v. Navigational Lights:
Navigational lights shall be installed and maintained in accordance with the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signal) Rules, 2022, and subsequent amendments.

6. **Engine and Fuel Systems**

i. All Canal Cruise boats intended for recreational and similar activities, shall be fitted with engines and fuel systems that meet applicable safety, environmental, and construction standards as prescribed in these rules.
ii. Engines:

a. Only marine-grade engines, specifically designed for water sports and high-performance applications, shall be installed.
b. All engines shall comply with Section 9 and Section 10 of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, as amended, with particular reference to:

1. Emission norms, and
2. Noise level.

c. Fuel Systems:

1. Fuel systems shall be installed strictly in accordance with the engine manufacturer's specifications and recommendations.
2. Builders shall ensure:

a. Use of secure and leak-proof fittings,
b. Adequate ventilation of fuel compartments, and
c. Use of fire-resistant materials and components.
d. Controls:

i. Steering, throttle, and emergency controls shall be intuitively placed, clearly marked, and easily operable with minimal physical effort.
ii. Control systems shall be designed to reduce operator fatigue and enhance responsiveness, particularly in high-speed or dynamic operating conditions.

e. A Builder's Certificate shall be issued confirming compliance with the above fuel system installation standards.

f. The Designated Authority of the State Government may issue further guidelines on safety aspects of installation and maintenance of engine and fuel systems, including provisions for periodic inspection, emissions monitoring, and certification.

7. **Electrical Systems**

i. All electrical installations and equipment, including but not limited to wiring, battery systems, switches, and associated apparatus, shall conform to the standards and specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards, or where applicable, the requirements of a recognized Classification Society or internationally accepted standards, as may be amended from time to time.

ii. Without prejudice to the generality of sub-rule (i), the following requirements shall apply:

a. Wiring: All electrical wiring shall consist of marine-grade, tinned copper conductors or other wiring of equivalent standard, duly insulated and appropriate for marine use. Such wiring shall be securely fastened, routed to prevent physical damage, and adequately protected against exposure to moisture and corrosive elements.

b. Battery Systems: Battery systems shall be installed in adequately ventilated and secured enclosures. All batteries shall be fitted with properly insulated terminals and provided with suitable fusing and overcurrent protection devices. The installation shall be designed to prevent spillage, short-circuiting, and ensure resistance to vibration and corrosion.

c. Electrical Equipment: All electrical equipment, including switches, connectors, and fixtures, shall be of waterproof or water-resistant type, suitable for use in marine environments, and shall comply with the standards referred to in sub-rule (i). All such equipment shall be installed and maintained in a manner that ensures operational safety and mitigates the risk of electrical hazard.

8. **Navigation and Communication**

i. All Canal Cruise boats, shall be equipped with navigation and communication systems necessary for ensuring safe operation, situational awareness, and emergency response, as prescribed by the State Government.

ii. The following minimum equipment shall be provided onboard such vessels:

a. Global Positioning System (GPS):
A functional GPS unit shall be installed to enable real-time and accurate positional tracking and route navigation, especially in restricted or busy waterways.

b. Communication Devices:
Each vessel shall carry at least one operational smartphone or waterproof mobile communication device, capable of:
   i. Contacting other vessels,
   ii. Communicating with shore-based emergency services, and
   iii. Receiving weather and navigational alerts where available.

c. Magnetic Compass: A marine-grade compass shall be installed as a backup navigational aid in the event of electronic equipment failure.

d. The State Government or its Designated Authority may notify additional safety requirements based on operational area risk assessment for such vessels as specified in Inland Vessels (National River Traffic and Navigation System), Rules 2025.

9. **Ergonomics and Comfort**

i. All Canal Cruise boats engaged in recreational activities, shall be ergonomically designed to ensure safety, comfort, and efficient operation for both passengers and crew. The design shall comply with:

a. Standards specified by Bureau of Indian Syandards, or
b. Requirements of a Classification Society, or
c. Relevant International Standards,

as may be specified or prescribed by the State Government, and as amended from time to time.

ii. The design features shall include, but not be limited to, the following minimum ergonomic requirements:

a. All passenger and operator seating shall be secure, comfortable, and fitted with appropriate seat belts or safety restraints.
b. Seating shall provide adequate support to minimize injury risk during rapid acceleration, manoeuvring, or wave impacts.

10. **Environmental Considerations**

All Canal Cruise boats shall adhere to the following environmental protection requirements to ensure eco-friendly operations on inland waterways:

i. Sustainable Construction

Canal Cruise boats shall utilize sustainable materials and adopt environment friendly construction practices to minimize ecological impact.

ii. Solid Waste Segregation

Vessels shall be equipped with facilities for segregation of solid waste into the following categories:

a. Biodegradable waste (e.g., kitchen waste);
b. Non-biodegradable waste (e.g., thermocol products, aluminium foil, etc.); and
c. Recyclable waste (e.g., newspapers, bottles, cans, etc.).
d. The Designated Authority, along with other authorities appointed by the State Government, shall be responsible for ensuring compliance with these provisions.

iii. Wastewater Management

a. All vessels shall be equipped with integrated waste water management systems, including holding tanks for sewage and wastewater.
b. Existing boats shall implement alternate arrangements for the collection and disposal of sewage and waste water.
c. Wastewater shall be disposed of in accordance with the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, and subsequent amendments.
d. Wastewater Collection Tanks

Each Canal Cruise boat shall be fitted with dedicated wastewater collection tanks integrated into the hull to manage:

i. Discharge from bio-toilets;
ii. Cooking and washing water;
iii. Discharge from bio-toilets shall be permanently connected to these tanks through rigid pipelines. The use of flexible hoses is strictly prohibited.
iv. Direct discharge of any wastewater into rivers, canals, or lakes is prohibited.
v. Tank capacity shall be calculated based on a standard of 650 litres per double-bedded room.

e. Plastic Alternatives

The use of biodegradable alternatives, such as paper or cloth bags, shall be actively encouraged. The use of plastic bags shall be restricted onboard.

f. Sanitation and Bio-toilets

i. All Canal Cruise boats shall be equipped with bio-toilets of adequate capacity.
ii. A dedicated mechanism for sludge removal using advanced sewage suction equipment shall be installed.
iii. Bio-toilets must include a ball valve with a secure handle for emergency shut-off and safe manual operation.
iv. Sludge disposal shall be carried out at least once every two months, with proper records maintained by the vessel owner for inspection by the Designated Authority.
v. To enhance sanitation, disinfection systems using UV sterilization, ozone treatment, or chlorination should be provided. Disinfection systems may utilize chlorine tablets, potassium permanganate ($KMnO_4$) tablets, or eco-friendly enzyme-based disinfectants.

g. Upon installation of wastewater tanks, a stability test shall be conducted to ensure that vessel safety is not compromised.

11. **Battery System and Battery Management System (BMS)**

i. This section applies to all electric and hybrid Canal Cruise Boats. It covers the design, installation, operation, and maintenance of the battery system, including the Battery Management System (BMS), to ensure safety, reliability, and environmental compliances.
ii. All components of the battery system and BMS shall conform to the relevant standards specified by Bureau of Indian Standards, or requirements of a Classification Society, or relevant International Standards.
iii. Testing, Certification, and Inspection

a. Batteries and BMS must be tested and certified by a NABL-accredited laboratory or a recognized classification society (e.g., IRS).
b. Compliance with IS 17017-21 (General requirements and test methods) is mandatory.
c. The system must pass environmental tests as per IS 9000 series or equivalent.

iv. Installation and Maintenance

a. Battery compartments must be clearly marked, ventilated, and accessible only to authorized personnel.
b. A fire suppression system, preferably clean agent-based, is recommended for high-capacity battery rooms.
c. A Periodic Maintenance Schedule shall be maintained onboard and executed by certified personnel.

v. Data Storage and Audit

a. The BMS shall store operational and fault data for a minimum of 180 days.
b. Records must be made available during surveys, audits, or post-incident investigations.

12. A compliance period of two years from the date of notification of this Rule shall be granted for retrofitting and compliance by existing vessels.
13. For provisions other than mentioned above, provisions contained in Chapters III and IV of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 shall apply, insofar as they are practicable for these special category vessels. The designated authority may exempt any or all requirements in above chapters of aforementioned rules and consider alternate standards for such requirements as specified by—

a.Bureau of Indian Standards (BIS); or

b. a classification society; or

c.International Standards Organization

14. The designated authority may, in respect of wooden canal cruise boats, grant exemption from the requirement of collision bulkheads, provided that alternate safety measures, deemed adequate and appropriate by the authority, are duly implemented to ensure equivalent or enhanced safety standards.
15. The engine and its fuel supply system /motors/batteries and battery management system as well as propulsion system related components of such vessels which are not covered by sub rule 11 shall be designed and constructed in accordance with the standards specified by—

a.Bureau of Indian Standards (BIS); or

b. a classification society; or

c. International Standards Organization

16. **Crew Requirements**
17. The boats shall be manned with minimum crew as per Chapter-3 of these rules.
18. Canal Cruise Boats undertaking short duration voyages during day time shall be exempted from requirement of crew accommodation.
19. Vessel owner shall provide fireproof kitchen materials, purified drinking water, alternate source of energy for fuel like solar power, battery to be used for lighting, fans, heating etc.

Chapter 3- Manning Requirements for Pleasure Crafts, and Canal Cruise boats

1. **Purpose and scope of the manning standards**

These manning standards are established to ensure the safe and efficient operation of pleasure crafts and canal cruise boats. They specify the minimum qualifications, required training, and responsibilities of crew members, ensuring adherence to safety regulations and best practices.

2. General Requirements

The general requirements for all crew members for Pleasure Crafts, and Canal Cruise boats are

1. Minimum Age: Crew members must be at least 18 years old.
2. Health and Fitness: Crew members must be in good health and physically fit to perform their duties duly certified by an MBBS doctor.
3. The crew must undergo Basic Safety and Security courses and Lifesaving courses.
4. Upon implementation of these rules, the Certification Authority or Designated Authority, as the case may be, shall issue such licenses, which shall be treated as equivalent to a Certificate of Competency (CoC) for the purpose of operating the specified category of pleasure craft or Canal Cruise Boat.
5. All crew members operating pleasure crafts or Canal Cruise Boats must possess the requisite licenses appropriate to their roles and the type of vessel operated.
6. The license for operating a pleasure craft shall be obtained from the Certification Authority or the Designated Authority, as applicable. The specific categories of licenses and certifications to be obtained shall be as prescribed in Form A.
7. Upon implementation of these rules, the Certification Authority or Designated Authority, as the case may be, shall issue such licenses, which shall be treated as equivalent to a Certificate of Competency (CoC) for the purpose of operating the specified category of pleasure craft or Canal Cruise Boats.
8. In the case of Canal Cruise boats, the license shall be issued exclusively by the Designated Authority, in accordance with Form A.
9. The minimum manning applicable to each inland vessel, shall be recorded by the Surveyor in the Certificate of Survey, in accordance with the type and size of the vessel, its operating area, engine capacity and such other factors as deemed fit.

3. **Qualifications and Training**

3.1 Pleasure Craft

3.1.1 Operator

(a) Qualifications:

i. Minimum 8th class passed.

ii. Valid applicable training completion certificate from certification authority (NIWS or Designated Authority or institutes approved by Central Government or State Governments).

iii. Knowledge of local navigation rules and regulations.

iv. Valid boat operators license

(b) Training:

i. Life Saving Techniques (LST) course shall be covering all components of Basic Safety and Security Course. Crew shall hold valid LST certification; or Basic Safety and Security course

ii. Training in vessel operation, navigation, and emergency procedures.

iii. Swimming 100mtr free style in less than 03 mins in placid water.

3.1.2 Crew

(a) Qualifications:

i. Basic seamanship skills.

ii. Knowledge of safety equipment and procedures.

iii. Basic knowledge of onboard machinery.

(b) Training:

i. Life Saving Techniques (LST) course shall be covering all components of Basic Safety and Security Course. Crew shall hold valid LST certification from Certification Authority or Basic Safety and security Course.

ii. On-the-job training under the supervision of an experienced Master.

3.2 Canal Cruise

3.2.1 Master or Engine Driver

(a) Qualifications:

i. Minimum 8th class passed.

ii. Basic Safety and security course as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 as amended.

iii. Knowledge of equipment, machinery, systems and maintenance.

iv. Proficient in operation of Canal Cruise Boats/Houseboats.

v. Experience in navigation and handling of vessel as a Deckhand/ GP rating for three years or experience in operation and maintenance as a Crew/GP rating for three years (engine side).

(b) Training: i. Basic Safety and security course as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 as amended.

ii. Training in vessel operation, safety procedures.

iii. Swimming 100mtr free style in less than 03 mins in placid water

iv. Knowledge of safety equipment and emergency procedures.

v. Knowledge of navigation, communication and signal equipment for masters

vi. Knowledge of machinery and systems for engine driver

3.2.2 Crew

(a) Qualifications:

i. Knowledge of Canal Cruise boat systems and maintenance.

ii. Experience in hospitality services (for larger Canal Cruise boats with guest services).

(b) Training:

i. Basic safety and security course.

ii. Swimming 100mtr free style in less than 03 mins in placid water

iii. Knowledge of safety equipment and emergency procedures.

4. **Responsibilities:** The responsibilities of each crew of these vessels shall be: - 4.1 Pleasure Crafts: -

i. Operator

(a) Ensure the safe navigation and operation of the vessel.

(b) Conduct pre-departure safety checks and briefings.

(c) Maintain compliance with all local and international maritime regulations.

(d) Oversee the safety of all passengers and crew.

(e) Maintain log books

ii. Crew

(a) Assist with docking, anchoring, and general vessel operations.

(b) Perform routine maintenance and cleaning tasks.

(c) Assist in emergency situations and follow the Master's instructions.

4.2. Canal Cruise Boat

i. Master

b. Ensure the safe navigation and operation of the vessel.
c. Conduct pre-departure safety checks and briefings.
d. Maintain compliance with all local and international maritime regulations.
e. Oversee the safety of all passengers and crew.

ii. Driver

b. Operation of main engines and auxiliaries
c. Manage systems (e.g., machinery, plumbing, electrical, HVAC).
d. Ensure the safety of vessels and its mechanical equipment.
e. Maintain log books

iii. Crew

c. Provide guest services, including meal preparation and housekeeping.
d. Ensure the safety and comfort of all guests.
e. Assist with navigation and docking as needed.

5. **Crew Size and Composition**

The minimum crew size and composition based on the type and size of the vessel shall be as following: -

i. **Pleasure crafts:**

In accordance with sub-section (2) of Section 42 of the Act, the manning requirement for pleasure craft shall be as follows:

Sl. No.	Vessel Description	Vessel Length	Engine Power	Boat Driver/ Operator	Crew
1.	Excursion boat with Tiller/ Remote Operated OBM	< 3.5 mtr	OBM- <30 HP	01 – PBH-T/R & LST-WS Certified	-
2.	Excursion boat with Tiller/Remote Operated OBM/ Inboard Engine	< 6 mtr	i. Tiller operated OBM- < 40 HP, ii. Remote operated OBM/ Inboard Engine – < 75 HP	01 – PBH-T Certified 01 – PBH-R Certified	01 – LST-WS Certified
3.	Excursion boat with Remote Operated OBM/ Inboard Engine	6 - 10 mtr	i. Tiller operated OBM- < 40 HP ii. Remote operated OBM/ Inboard Engine – <90 HP	01 – PBH-T Certified 01 – PBH-R Certified	01 – LST-WS Certified
4.	Speed boat Remote Operated OBM / Inboard Engine	< 6 mtr	Remote operated OBM/ Inboard Engine – > 50 HP	01 – PBH-R Certified	01 – LST-WS Certified
5.	Speed boat Remote Operated OBM / Inboard Engine	6 - 10 mtr	Remote operated OBM/ Inboard Engine – > 50 HP	01 – PBH-R Certified	02 – LST-WS Certified
6.	Personal Watercraft (Jet Ski)	<3.5 mtr	Inboard Jet Engine 90 – 310 HP	01 – PWC/Jet Ski Certified	-
7.	Para sailing boat	10 m	Remote operated Inboard engine > 250 HP	Boat Driver- 01 Operator PBH-R & Parasailing operation certified	Crew- 02 Crew LST-WS certified

Tiller-controlled Power Boat Handling (PBH-T)
Remote-controlled Power Boat Handling (PBH-R)
Personal Watercraft / Jet Ski Operation (PWC/Jet Ski)
Life Saving Techniques Water sport (LST-WS)

ii. **Canal Cruise boats:**

The minimum manning requirement for Canal Cruise boats shall be as follows:

a. Canal Cruise boats shall have a Master/ Engine Driver and 1 Crew for sailing Canal Cruise boats having less than 20 pax capacity.
b. One Master, One Engine Driver and 1 Crew for sailing Canal Cruise boats having 20 to 50 pax capacity.
c. For night cruise, additional manpower may be recommended by Designated Authority.
d. For stationary and moored Canal Cruise boats, Owner shall have a Master and a Driver license for operating the Canal Cruise boat.

6.Threshold of Compliance:

The existing crews of Pleasure Crafts and Canal Cruise Boats shall continue to man these vessels and shall be given a period of 3 years to comply with training requirements laid down in these rules.

FORM A

LICENSE FOR ….....

(To be issued on the official letterhead of the National Institute for Water Sports [NIWS] or Designated Authority)

1. License Details

Certificate No.: _____

Date of Issue: (dd-mm-yyyy)

License Type: _____ Crew Category: _____

Photo of License Holder

(Passport size photo – stamped and attested)

License Validity: From (dd-mm-yyyy) To (dd-mm-yyyy)

2. License Holder Details

Full Name: _____

Father's/Mother's Name: _____

Date of Birth: (dd-mm-yyyy)

Blood Group: _____

Aadhaar/ID No. (Optional): _____

3. Contact Information

Permanent Address: _____
Mobile Number: _____
Email Address: _____

4. Qualification & Certification

Training Course Completed: _____
Certificate No. (Course Completion):
_____
Date of Completion: | (dd-mm-yyyy)
Training Institute: _____

5. Remarks (if any)

6. Declaration by the License Holder

I, the undersigned, declare that the information provided above is true to the best of my knowledge. I understand that using the license beyond the validity period is prohibited and that renewal is my responsibility.

Holder's Signature: _____ Date: (dd-mm-yyyy)

7. Issuing Authority

Name of Officer:_____
Designation: _____
Issuing Authority: National Institute for Water Sports / Designated Authority
Office Address:
Place of Issue: _____
Signature with Seal: _____
Date of Issue: (dd-mm-yyyy)

Directions to License Holder

1. Usage of this license after its expiry date is strictly prohibited.

2. License renewal is the sole responsibility of the holder.

3. The original license must be presented at the time of renewal.

4. The NIWS or Designated Authority reserves the right to renew, suspend, or cancel this license in accordance with applicable rules.

Form No 1

DECLARATION BY OWNER REGARDING DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD FOR THE VESSEL

To
The Surveyor/Designated Authority,
[Insert Name of State/UT Maritime Board or Authorized Entity],
[Insert Address].

Date: [DD/MM/YYYY]

Subject: Declaration on Compliance with Design and Construction Standards of the Vessel

I, [Full Name], son/daughter of [Father's/Mother's Name], aged [Age], residing at [Full Address], being the owner of the vessel described below, hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. Vessel Details:

ii. Name of Vessel: [Insert Vessel Name]
iii. Type of Vessel: [e.g., Passenger, Cargo, Dredger, Survey, etc.]
iv. Hull Identification Number (if available): [Insert HIN]
v. Material of Construction: [e.g., Steel, GRP/FRP, Wood, etc.]
vi. Length (LOA): [XX.XX] meters
vii. Breadth (B): [XX.XX] meters
viii. Depth (D): [XX.XX] meters
ix. Draft: [XX.XX] meters
x. Year of Construction: [YYYY]
xi. Place of Construction: [Workshop/Shipyard Name and Address]
xii. Builder's Name: [If applicable]

2. I hereby declare that the above-mentioned vessel has been designed and constructed in accordance following standards: -

……...

3. I undertake full responsibility for the accuracy of the information provided and compliance with the statutory design and construction standards. I am aware that any false statement or misrepresentation may lead to penalties, cancellation of registration, or other legal consequences under the Act.

4. I shall ensure that the vessel is maintained in seaworthy condition and will not undergo any structural alterations or modifications without obtaining prior approval from the competent authority.

Place: [City/Town]
Date: [DD/MM/YYYY]

Signature of the Owner: _____
Name of the Owner: [Full Name]
Mobile Number: []
Email ID: [example@email.com]
Address: [Full Residential Address]

Form No 2

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF FITNESS

(Under Section 43(2) of The Inland Vessels Act, 2021)

To:
The Authorised Officer
[Name of Port/State IWT/MB]
[Address]

1. Vessel and Ownership Details

Particular	Details
Name of the Vessel	_____
Registration Number (if any)	_____
Name of Owner/Operator	_____
Address of Owner/Operator	_____
Contact Details	_____

2. Vessel Specifications

Particular	Details
Type of Vessel	☐ Passenger ☐ Cargo ☐ Others: _____
Hull Material	☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: _____
Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
Engine Type	☐Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐

Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _____

Dimensions (L × B × D) _____ m × _____ m × _____ m

Draft _____ m

Year of Build _____

Engine Details (if applicable) _____

Operational Area : _____

Purpose of Application

☐ Initial Certification
☐ Renewal of Certificate No. _____

4. Declaration

I hereby declare that the details provided above are true and correct to the best of my knowledge, and I shall comply with the provisions of The Inland Vessels Act, 2021, and the Rules made thereunder. All required safety gear, machinery, and operational conditions are in conformity with applicable standards.

Signature of Owner/Operator: _____
Date: ___ / ___ / 20___
Place: _____

Form No 3

CERTIFICATE OF FITNESS FOR SPECIAL CATEGORY VESSEL

(Issued under Section 43(2) of The Inland Vessels Act, 2021)

Certificate No.: _____
Date of Issue: ___ / ___ / 20___
Valid Until: ___ / ___ / 20___
Issuing Authority: _____

1. Vessel Identification

Particular Details

Name of Vessel _____

Registration Number _____

Owner/Operator Name & Address _____

Hull Material ☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: _____

Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
Engine Type	☐Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐ Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _____
Type of Vessel	_____
Operational Area	_____

2. Principal Particulars

Particular	Details
Length Overall (LOA)	_____ m
Breadth	_____ m
Depth	_____ m
Draft	_____ m
Engine Type & Power	_____
Passenger Capacity (if any)	_____ persons
Cargo Capacity (if any)	_____ MT

3. Safety Compliance & Load line

The vessel has been surveyed and found compliant with:

- Safety equipment requirements as per categorization
- Buoyancy and floatation adequacy
- Load line markings affixed and verified (☐ Yes ☐ Not Applicable)
- Engine and propulsion systems (where applicable)
- Navigational and structural safety
- Fire and life-saving appliances

4. Conditions of Operation (if any)

☐ Restricted to fair weather/daylight operations
☐ Maximum persons allowed: _____
☐ Max cargo load: _____ MT
☐ Operational area limited to: _____
☐ Others: _____

5. Certification

I hereby certify that the vessel described above has been inspected and is fit for operation as a Special Category Vessel in accordance with the provisions of The Inland Vessels Act, 2021,

Inland Vessels (Special Category: Pleasure Craft and Canal Cruise boat) Rules, 2025 and the rules made thereunder.

Surveyor's Name: _____
Designation: _____
Signature and Seal: _____
Date: ___ / ___ / 20___

Note: This certificate shall be carried on board at all times. Any alteration to the structure, machinery, or configuration without prior survey and approval shall render this certificate invalid

[F.No. IWT-II-12011/8/2025-IWT-II]

Dr. KAMALA KANTA NATH,Adviser (Stats)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.21 15:41:21 +05'30'